शासन दर्पण

गवर्नेंस फॉउण्डेशन का प्रकाशन

खंड–2, अंक–4 (संयुक्तांक) अप्रैल–मई–जून 2025 भाषा – हिन्दी

प्रगति और विश्वास, निरंतर बढ़ता
औद्योगिक विकास

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
मंत्री, औद्योगिक विकास
उत्तर प्रदेश सरकार

- **औद्योगिक भूखण्डों का आवंटनः** प्राधिकरण ने कलस्टर आधारित उद्योगों के विकास हेतु प्रभावी कार्यवाही की है। प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टरों में MSME पार्क, टॉय सिटी एवं हैण्डीक्राफ्ट पार्क एवं अपैरल पार्क का विकास किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017 से 31 जनवरी 2024 तक कलस्टर आधारित औद्योगिक पार्कों एवं मिश्रित भू–उपयोग में कुल 2209 औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। इन उद्योगों के स्थापना से प्राधिकरण क्षेत्र में लगभग 31,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा तथा 3,61,593 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।
- **मेडिकल डिवाईस पार्कः** भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत मेडिकल डिवाईस पार्क की स्थापना यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण द्वारा सेक्टर–28 में की जा रही है। मेडिकल डिवाईस पॉलसी के अन्तर्गत रु. 100 करोड का ग्रान्ट भारत सरकार द्वारा दिया जाना है जिसके सापेक्ष रु. 30 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। मेडिकल डिवाईस पार्क में इकाईयों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित विशेष प्रोत्साहन लाभ प्रदान करने हेतु फार्मास्यूटिकल मैन्यूफैक्चरिंग नीति–2018 (यथा संशोधित) के प्रस्तर–12.5 के तहत प्रस्ताव पर मा. मंत्री परिषद् द्वारा दिनांक 14.06.2022 को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। Scheme for promotion of Medical Devices Park के अनुसार मेडिकल डिवाइस पार्क योजना 02 वर्ष में क्रिन्यान्वित की जानी है। मेडिकल डिवाईस पार्क योजना के अन्तर्गत फेज–1 में 35, फेज–2 में 23 एवं फेज–3 में 14 भूखण्डों का आवंटन हो चुका है। इस योजना में लगभग 3800 करोड़ का निवेश प्राप्त होगा साथ ही 15000 रोजगार का सृजन होगा।
- **इन्टरनेशनल फिल्म सिटीः** उ.प्र. में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी के स्थापना की उ.प्र. शासन की परिकल्पना ने लिया आकार। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में 230 एकड़ में फिल्म सिटी की स्थापना हेतु निर्माता निर्देशक बोनी कपूर एवं भूटानी इंफ्रा कम्पनी Bayview Projects LLP इनके द्वारा ड्रॉईंग डिजाइनिंग डीपीआर तैयार किया जा रकाह है।
- **नोयडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवरः** नॉयडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर नागरिक उड्डयन विभाग, उ.प्र. शासन की पी.पी.पी. मोड पर आधारित परियोजना है। इसका विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान क्षेत्र इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एण्ड एविएशन हब के अन्तर्गत 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में जेवर के निकट किया जा रहा है। इस हेतु 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों से सभी प्रकार की एन.ओ.सी. एवं इन्वारयमेंट क्लीरेन्स प्राप्त हो चुका है। ग्लोबल बिडिंग प्रकिया से Zurich Airport International AG का चयन कंसेशनायर/विकासकर्ता के रूप में किया गया है। समस्त भूमि का कब्जा विकासकर्ता को प्रदान किया जा चुका है तथा विकास हेतु Master Plan एवं Development Plan अनुमोदित किया जा चुका है। वर्तमान में विकासकर्ता Yamuna International Airport Pvt. Ltd. जो Zurich Airport International AG की (SPV) है के द्वारा Terminal Building, रनवे, ATC Building के निमार्ण कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में 12 मिलियन यात्रियों के लिए एयरपोर्ट का निर्माण होगा जिसमें रु. 5730 करोड़ की धनराशि कम्पनी द्वारा व्यय की जाएगी। एयरपोर्ट की स्थापना से औद्योगिक अवस्थपना का संरचनात्मक विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढेगें, विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा हवाई यातायात सुगम होगा साथ ही पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- **हेरीटेज सिटीः** राया नगरीय केन्द्र (वृन्दावन) प्राधिकरण की महायोजना में शासन द्वारा अनुमोदित है, जहाँ प्राधिकरण द्वारा हेरीटेज सिटी के रूप में विकास किये जाने की योजना है। इसके अध्ययन हेतु M/s CBRE South Asia Pvt. Ltd. को परामर्शदाता के रूप में चयन किया गया है। ब्रिज विकास परिषद के सुझाव पर इसका विकास श्री बांकेबिहारी मंदिर के समीप ग्रीनफील्ड एरिया में किया जाएगा जहाँ पर पूर्व से ही भगवान श्रीकृष्ण से सम्बन्धित कई पौराणिक स्थल मौजूद हैं। इस योजना में यमुना एक्सप्रेसवे से श्री बांकेबिहारी मन्दिर हेतु ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी साथ ही रिवर फ्रन्ट, योग केन्द्र, प्रार्थना स्थल आदि का भी विकास हेरीटेज सिटी में सम्मिलित है। इसका DPR कंसलटेन्ट द्वारा तैयार किया जा रहा है। DPR के अनुमोदन के उपरान्त विकासकर्ता का चयन पी.पी.पी. मोड पर किया जाएगा। मास्टर प्लान दिनांक 21.10.2024 को शासन से अनुमोदित हो गया है।
- **ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों का आवंटनः** प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.08.2024 को सेक्टर 18 एवं 22डी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड योजना (वाईईए–जीएच–08/2024) लायी गई थी। उक्त योजना में कुल 9 भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।
- **डेटा सेन्टर पार्कः** सैक्टर–28 में डेटा सेन्टर पार्क 50 एकड़ में विभिन्न आकार के 6 भूखण्डों के आवंटन की योजना लायी गयी है। डेटा सेन्टर पार्क और एविएशन हब के बीच 2.5 कि.मी. की दूरी है। डेटा सेन्टर पार्क के अन्तर्गत 2 भूखण्डों का आवंटन हो चुका है।
- **संस्थागतः** प्राधिकरण के संस्थागत उपयोग हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण के संस्थागत सैक्टरों में Degree College, PG College, Medical College Management Institute/Technical Institute, Vocational College/Institute, Sport College/Sports Academy, Senior/Higher Secondary School, Integrated Residential Schools, Nursory School, Hospital, Nursing Home, Corporate Office etc. के उपयोग हेतु 238 भूखण्डों का आवंटन किया गया है।
- **ग्रामों का सैक्टरों की तर्ज पर स्मार्ट विलेज के रूप में विकासः** प्रथम फेज में प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के कुल 29 औद्योगिक नगरों को स्मार्ट विलेज के रुप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। 06 औद्योगिक नगरों (निलोनी, रामपुर बांगर, अच्छेजा बुजुर्ग, डूँगरपुर रीलका, मिर्जापुर व रूस्तमपुर का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। 13 औद्योगिक नगरों (सलारपुर, मूंजखेडा, चपरगढ़, (माजरा–मिर्जापुर), गुनपुरा, मुरादगढ़ी, मौहम्मदपुर गुर्जर, खेरली भाव, औरंगपुर, अट्टा गुजरान, दनकौर जगनपुर, अफजलपुर, रौनीजा एवं चांदपुर) में कुल रुपये 9584.08 लाख के विकास कार्य प्रगति में हैं। शेष 11 औद्योगिक नगरों के प्राक्कलन तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- **प्राधिकरण के 96 औद्योगिक नगरी क्षेत्रों के अन्तर्गत स्कूलों के कायाकल्प के कार्यः** ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को अवस्थापना से संतृप्त कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कराये गये सर्वे में 14 मानकों के अन्तर्गत 89 प्राईमरी स्कूल तथा 34 जूनियर हाई स्कूल में कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।
- **अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयः** प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत आने वाले 15 विद्यालयों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की गयी है, जिसमें नयी शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप At Grade Learning की अवधारणा के आधार पर उक्त चिन्हित विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को विश्वस्तरीय एवं आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ बेहतर शैक्षणिक परिवेश में शिक्षा प्रदान करने के उददेश्य से परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इसके अन्तर्गत विद्यालय में 05 कक्षों से युक्त 01 एकीकृत भवन का निर्माण किया जाएगा, जहाँ निम्नलिखित आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाएगाः • Library with dedicated reading Corner • Computer lab with language lab solution • Modular composite (Math & Science) laboratory • High-tech Smart class by interactive display smart board with virtual class room • Staff room with attached toilet.

  अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उददेश्य से बच्चों को डिजिटल एजुकेशन प्लेटफार्म एवं डिजिटल लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापरख शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक स्मार्ट क्लास शैटअप को भी तैयार किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा कुल 12 विद्यालयों को दो चरणों में अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्य प्रगति में है।

Yamuna Expressway Industrial Development Authority
YEIDA
FUTURE IS HERE

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉपलेक्स, पी–2, सैक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नोएडा 201308, जनपद–गौतमबुद्ध नगर

Tolfree No.: 1800 180 8296 वेबसाईटः www.yamunaexpresswayauthority.com

'kk l u n i .k
RNI No : DELHIN/2023/86252

संरक्षिका
श्रीमती सुमन मिश्रा

मुख्य संपादक
कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तव **IAS** (सेवानिवृत)

संपादक
सिद्धार्थ मिश्रा
वी/१८ ग्रीन पार्क एक्स.
एल जी एफ, नई दिल्ली - ११००१६

ई मेल governancef@gmail.com
prabhanshu38.office@gmail.com
वेबसाईट www.governancefoundation.org.in
दूरभाष +91 8447625205, +91-9568822000

डिजाईन
मोहित जैन
ई मेल mohit.thedesigner@gmail.com

मुद्रक
वी एस के इम्प्रैशन
बी आर - ५० सैक्टर ११६ नौयडा 201307
+91 99114 32184

प्रकाशक
श्रीमती सुमन मिश्रा

गवर्नेंस फाउंडेशन के लिये
वी/१८ ग्रीन पार्क एक्स.
एल जी एफ, नई दिल्ली - ११००१६

Disclaimer: The views expressed in the magzine are of the authors and not necessarily of the publisher, editors, associate and printer. Authors themselves are responsible for any kind of plagiarism found in their articles and any issues found/raised with it.

Any legal dispute shall be subject to the jurisdiction of the New Delhi Courts

प्रिय पाठकों,

आपके सम्मुख शासन दर्पण का का नया अंक प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है । नवीन कलेवर में प्रस्तुत पाठ्य सामग्री समयानुकूल और सारगर्भित है। यकीनन वर्षों पहले लिखा गया साहित्य और संस्मरण आज भी देश काल परिस्थिति के लिए उतना ही समीचीन और प्रासंगिक है जितना कि उस समय जब वो लिखा गया था। समय की परिधि से परे तत्समय कुछ ऐसा रचा गया जिसने खुद को कालजयी मास्टर पीस के रुप में स्थापित किया।

नए स्तंभ जो पत्रिका के नियमित अंग रहेंगे आपको एक नया दृष्टिकोण और पुराने लिखे की याद दिलायेंगे और शायद इसी बहाने आप उस कृति को पुनः बरबस फिर पढ़ना चाहें।

मेरा यह दृढ़ मंतव्य है कि अच्छे साहित्य और अच्छी रचना मात्र शोध पत्रों और अकादमिक क्षेत्र तक सीमित न हो वरन इस की पहुँच जनसामान्य तक होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इस अंक में पर्यावरण से संबंधित अनेक पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों को साभार पुनः प्रकाशित किया जा रहा है जिससे समस्या और उस के निदान की पहुँच जनसामान्य से लेकर नीति नियन्ताओं तक समान रूप से पहुँचे और उस पर कुछ सार्थक पहल हो। आशा है आपको इस अंक की पठन सामग्री पसंद आएगी।

आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

आपका

कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तव

कैसे कैसे हाकिम

राजकमल प्रकाशन से
श्री टी.एस. आर. सुब्रमणियन
की छपी पुस्तक
'बाबूराज और नेतांचल'
से साभार

"अब मुझे एक न्यायाधीश की याद आती है जो अपनी कुशाग्रबुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, और जिनके निर्णय दोषमुक्त व पाक साफ होते थे. उनके विषय में सभी का पूर्वानुमान था कि वह एक दिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर सुशोभित होंगे.

एक प्रथा, जिसकी उस समय चारों ओर चर्चा थी, वह यह थी कि प्रत्येक सिविल केस (दीवानी) में बहस के समापन से पूर्व विरोधी वकीलों के प्रतिनिधि पेशकार से मिलेंगे और केस (मुकदमा) की जटिलता के आधार पर एक निश्चित धनराशि उसे देंगे.

निर्णय के दिन, निर्णय सुनाने के कुछ मिनट पहले हारने वाले वकील के पूरे पैसे लौटा दिए जाएंगे. निर्णय पूर्ण रुपेण निष्पक्ष, तर्क संगत तथा गुणदोष के आधार पर होगा. मेरे किसी जानकार ने इस बात का परीक्षण नहीं किया कि ऐसी स्थिति में जिसमें किसी एक पार्टी ने पेशकार को धनराशि नहीं दी हो तो निर्णय किस सीमा तक निष्पक्ष होते थे.

एक दूसरा व प्रशासनिक मजिस्ट्रेट जिसे सब फैंटम के नाम से पुकारते थे, कुछ लोगों के लिए एक सनकी दिमाग का व्यक्ति था. वह न केवल ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था बल्कि तौर तरीकों में सादगी पसंद, स्पष्टवक्ता और जिद्दी था. उसके न्यायालय में अफीम अधिनियम के एक मुकदमे में सरकारी पक्ष का आरोप था कि मुल्जिम (दोषी) रात में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था और जब सब इंस्पेक्टर ने उसका पीछा कर उसे दबोचा, तो तलाशी लेने पर उसकी कमीज की जेब से अवैध अफीम पकड़ी गई.

मुलजिम इतना गरीब था कि बिना वकील की सहायता, अपने वाद (केस) की उसने स्वयं पैरवी की. सब इंस्पेक्टर जिसने उसे पकड़ा था वह एक भारी और मध्यम आयु का व्यक्ति था जिसकी अच्छी खासी तोन्द बाहर निकल रही थी. उसने ही शपथ लेकर मुल्जिम का पीछा कर पकड़ लेने की गवाही दी थी. जब मुलजिम से पूछा गया कि उसको इस संबंध मे क्या कहना है, तो उसने कहा, "हुजूर जरा इस पुलिस वाले पर नजर डालिए और फिर मुझे देखिए, यह कितना मोटा है, यह मुझे कैसे पकड़ सकता है?

इसकी बात पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? फैंटम उसके इस तर्क से प्रभावित हो गया. उसने मुल्जिम से न्यायालय के द्वार पर खड़ा होने को कहा और सब इंस्पेक्टर को उस से दस गज पीछे खड़ा कर दिया. उसने मुलजिम को सचेत किया कि अगर वह पकड़ा गया तो छह महीने की जेल काटनी होगी और अगर नहीं पकड़ा गया तो उसे न्यायालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं है. पीछा करने की दौड़ शुरू हो गयी और मुल्जिम आँखों से ओझल हो गया, जब कि मोटा पुलिस वाला द्वार तक ही पहुँच पाया. ऐसी स्वच्छंद कार्यशैली से फैंटम ने अपने नाम को प्रसिद्ध कर लिया था."

दान की बछिया के दाँत गिने ही जाने चाहिए

कैप्टेन प्रभान्शु श्रीवास्तव

जब भी सामाजिक परिक्षेत्र में सामाजिक उन्नयन हेतु जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की बात आती है, तो यह जरूर ध्यान में आता है कि, विगत ७५ सालों से निरंतर और निर्बाध, भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये जनकल्याणकारी योजनाओ हेतु व्यय कर रही है, पर ऐसा क्या है कि, आज भी धरातल पर इन योजनाओं का सही लाभ अभीष्ट लक्ष्य समूह को उस रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है, जैसा कि योजना विशेष का मंसूबा था. अब भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इन योजनाओं से अछूता तो नहीं है पर उसका समुचित गुणवत्ता पूर्ण लाभ ले पाने में असफल है.

गहनता से चिंतन करने पर यदि हम विश्लेषण में जायें तो हम पाते हैं की भारतीय समाज में लोगो को स्थितप्रज्ञता अथवा निरपेक्षता का भाव सहज स्वीकार्य हैं जब तक उनका खुद का पैसा खर्च न हो रहा हो.अन्यथा अपने लिए सस्ती से सस्ती चीज खरीदते समय भी उसकी गुणवत्ता देखने के उपरांत ही वे उससे खरीदते हैं चाहे वो हरी मिर्च हो, पुदीने की पत्ती हो या धनिया पत्ती. पर जहाँ कोई वस्तु उन्हें बिना मूल्य चुकाए दान में, या मुफ्त प्राप्त होती है, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, या किसी एनजीओ की हो,या किसी संस्था के सीएसआर फंड से किया जाने वाला ब्यय हो, यहाँ तक कि चाहे भंडारा ही हो, वहाँ गुणवत्ता को परखने का भाव तिरोहित हो जाता है. उसकी जगह समाज में शुकराने / धन्यवाद का भाव, या उपकृत होने का भाव आ जाता है, जहाँ आदमी सीधे सीधे संतुष्ट हो जाता है क्योंकि वो ये मानता है कि इस समूची प्रक्रिया में उसका कुछ भी योगदान या उसके घर से या उसके पल्ले से कुछ नहीं जा रहा है तो उसे क्या ?

यहाँ कदाचित पीढी दर पीढी से चला आ रहा सामुदायिक ज्ञान, कि दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते,का भाव क्रियात्मक रूप से सार्थक होने लगता है. यदि कोई चीज फ्री या मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसे यथा स्थिति जो जैसा है उसे वैसे ही रूप में स्वीकारना है, उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाला जाना चाहिए, या नहीं निकाले जाने की परंपरा है. इसके विपरीत, प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनावश्यक रूप से उपकृत महसूस करता है, एहसानमंद होता है या प्रक्रियागत रूप से जिस व्यक्ति विशेष ने योजनान्तर्गत उस वस्तु विशेष को प्राप्त करने में उसकी मदद की है उसके प्रति वह उपकृत भाव से, उसे माई बाप मानते हुए कृतज्ञता का भाव रखते हुए, ये मान लेता है की इन बाबू साहब, या इन प्रधानजी, या इन कार्पोरेटर, या इन पंडित जी, या इन नेताजी की वजह से ही उसे ये है चीज उपलब्ध हुई है बिना इस बात का संज्ञान लिए कि इस सब प्रक्रिया के पीछे सरकारो की अपनी कल्याणकारी योजना है जिसका लक्ष्य व स्वयं है.

फलस्वरूप, “ऐसा ही मिला है, जो मिला वही तो बाटेंगे, पीछे से नहीं आया, हमें ही तोलकर नहीं मिलता, अभी नहीं आया इस महीने का आया ही नहीं” आदि कारण सुनकर सभी संतुष्ट हो जाते हैं. कोई प्रश्न नहीं करता और स्थितप्रज्ञता के भाव से स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को पुष्पित और पल्लवित होने हेतु उर्वर स्थितियां उपस्थित होती है जिनका दोहन हितबद्ध समूह बखूबी से करता है और करता आ रहा है.

वर्णित परिस्थिति में, तमाम सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों, जन जागरूकता शिविर प्रशिक्षण के बावजूद, जनमानस में आज भी सरकार द्वारा मुहैया कराई गई, मुफ्त वस्तुओं की गुणवत्ता को परखने या उसे सबल रूप से सुनिश्चित करने के भाव का लोप या उसके प्रति जागरूकता का अभाव है. ऐसे में इस बात की आवश्यकता है कि, केंद्र सरकार की अथवा राज्य सरकार की हर योजना के बारे में, लक्ष्य समूह के प्रत्येक सदस्य को इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए कि, उसे किस योजना की पात्रता प्राप्त है, उस योजना में क्या मिलता है, उसकी गुणवत्ता के मानक क्या है, और वो कितनी मात्रा में, और कहाँ उपलब्ध होगा, और कितने समय के अंतराल में यह सुविधा उसे प्राप्त होती रहेंगी. बिना इस जानकारी के अथवा इस ज्ञान के अभाव में इन योजनाओं का हश्र कमोबेश ऐसा ही होता रहेगा जैसा होता आया है.

स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में इसे एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए ओर हर स्तर पर ये प्रयास हो कि, हर सरकारी योजना के, हर लक्ष्य समूह के, समस्त लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित मूलभूत जानकारी का ज्ञान उन्हें कराया जाय. जिससे योजना से लाभान्वित होते समय, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, या राज्य सरकार की योजना हो, उन्हें प्राप्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता का उन्हें भान हो और वो वस्तुओं को गुणवत्ता की कसौटी पर कसकर, बिना किसी भय समझौते के, उस सामग्री को प्राप्त करें और उसके संबंध में अगर उनकी कोई शिकायत है, तो उसे भी दर्ज करा सके. जब तक इस पर एकाग्र होकर ध्यान नहीं दिया जाएगा, योजनाओं का जो प्रभाव(इम्पैक्ट) धरातल पर पड़ना चाहिए, नहीं पडेगा. समय की मांग है कि, उपकृत होने, आभार मानने, या कृतज्ञता के भाव को तिलान्जलि देते हुए दान की बछिया, भले ही वह केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है, उसके दाँत गिने ही जाने चाहिए और यह मानसिक परिवर्तन गुणवत्ता की परख हेतु प्रत्येक लाभार्थी को जानकार समर्थवान बना कर ही संभव हो पायेगी.

आध्यात्म चर्चा

साधना भवन ट्रस्ट मनगढ़ से प्रकाशित
जगद्गुरू श्री कृपालु जी महाराज द्वारा
विरचित 'प्रेम रस सिद्धांत' से साभार

सर्वप्रथम यह विचार कीजिए कि संसार के किसी भी पदार्थ में आनंद नहीं है. आप कहेंगे कि हम लोगों को जब धन, पुत्र, स्त्री, पति आदि मैं आनंद मिलता है तब हमारी बुद्धि यह कैसे मान लें कि संसार में आनंद नहीं है? किन्तु गंभीरतापूर्वक विचार करने पर बुद्धि अपना निश्चय बदल देगी. अच्छा ये बताइए कि वह कौन सी वस्तु है जिसमें आनंद है? यदि किसी एक वस्तु में आनंद होता तो एक तो वह आनंद सबको मिलता, दूसरे उस आनंद का वियोग न होता अर्थात उस पर दुख का अधिकार न हो पाता किंतु ये दोनों ही बातें किसी पदार्थ से सिद्ध नहीं होती यथा मदिरा को ही ले लीजिए. मदिरा के नाम से एक घोर पियक्कड़ शराबी को आनंद मिलता है, पुनः पीने से तो मिलता ही होगा किंतु उसी मदिरा से एक धर्मात्मा पंडित को महान अशांति होती है. यदि खाने के साथ शराबी के आगे शराब रख दी जाए तो वह बहुत खुश होगा, जबकि वह कर्मकाण्डी पण्डित बहुत दुखी होगा. तो शराब में शराबी के अनुभव में आने वाला सुख है या पंडितजी के अनुभव में आने वाला दुख है. यदि आप कहें कि पंडित जी ने शराब को पिया नहीं, देखकर ही अशांत हो रहे हैं, यदि पीते तो उन्हें भी शराबी की भाँति आनंद ही मिलता, तो यह कहना भ्रांतिजनक है, क्योंकि यदि पंडितजी को शराब पिला दी जाए तो उल्टी हो जाएगी और शायद धर्म के नाते जीवन भर दुखी रहेंगे.

कल्पना कीजिए कि उमेश नामक व्यक्ति है, उसके स्त्री है, एक बच्चा भी है, एक मित्र है, एक नौकर है, एक पड़ोसी है एवं एक कर्जदार पड़ोसी भी है. उस उमेश की अचानक मृत्यु हो गई. उसकी स्त्री ने सुना और सुनते ही दुख में मूर्छित होकर गिर पड़ी, पुत्र ने सुना तो वह मूर्छित तो नहीं हुआ किन्तु अत्यंत अधीर होकर रोने लगा, मित्र ने सुना वह अधीर होकर नहीं रोया किन्तु २ चार आँसू निकल ही आए, नौकर ने सुना उसे आँसू तो नहीं आए किन्तु हल्की सी वेदना अवश्य हुई. अब पड़ोसी ने भी सुना उमेश संसार से चल बसे, उन्हें न दुख हुआ न सुख. उन्होंने अपनी झाड़ू लगाती हुई पत्नी से कहा,"अरी सुनती हो वह पड़ोसी उमेश थे न उनकी अभी मृत्यु हो गई." स्त्री को दुख हुआ ना सुख किन्तु सभ्यता के नाते उसने यह अवश्य कहा कि," राम राम बड़ा बुरा हुआ उसका बच्चा अभी छोटा ही है, स्त्री युवती है भगवान की जैसी इच्छा." ऐसा कहते हुई झाड़ू लगाती रही झाड़ू लगाना उसनें बंद नहीं किया. अब दूसरे पड़ोसी को देखिए उसने सुना कि उमेश मर गया तो उसे बड़ा सुख मिला क्योंकि वह उसका कर्जदार था तो सोचा चलो कर्जे से छुट्टी मिली.

थोड़ी देर बाद ही उमेश जीवित हो गया. वास्तव में वह मरा नहीं था अभिनय कर रहा था. उसको जीवित सुनकर उसकी स्त्री वो पुनरू खुशी से बेहोश हो गई, पुत्र ने सुना वो खुशी के आँसू बहाने लगा. दोस्त ने सुना, वह विशेष खुश हुआ किन्तु पुत्र से कम. नौकर ने सुना उसे भी हल्की खुशी हुई. पड़ोसी ने सुना तो उसने फिर अपनी झाड़ू लगाती हुई पत्नी से कहा,"अरी सुनो तो वह पड़ोसी जो मर गया था पुनः जीवित हो गया. झाड़ू लगाते लगाते ही स्त्री ने कहा,"चलो अच्छा हुआ बिचारे की गृहस्थी को कौन संभालता". कर्जदार पड़ोसी ने सुना तो उसे महान कष्ट

हुआ क्योंकि उसे कर्ज का रुपया देना पड़ेगा. अब आप बताइए उमेश में सुख है या दुख है? या दोनों नहीं है? यदि सुख है तो जितना स्त्री को मिला है उतना सुख है या उससे कम जो पुत्र को मिला है उतना सुख है या उससे कम जो दोस्त को मिला है उतना सुख है? अथवा यह बताइए कि जो कर्जदार पड़ोसी को दुख मिला है वह दुख है? अथवा यह बताइए कि जो पड़ोसी को न सुख मिला न दुख वह है? कौन स्थिति उमेश में है? सब का अनुभव भिन्न है. अतएव यह सिद्ध हुआ कि उमेश में न सुख है न दुख. जिसने जितना सुख स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से उमेश में मान लिया था बस उसे वहीं अपना माना हुआ उतनी ही मात्रा का सुख मिल रहा है और वह भोलेपन में यह समझ रहा है कि उमेश से सुख मिल रहा है भावार्थ यह कि जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख जो व्यक्ति मान लेता है उस वस्तु से उतनी मात्रा का सुख उस व्यक्ति को मिलने लगता है और वह भ्रांतिवश समझ बैठता है कि अमुक वस्तु से अमुक मात्रा का सुख मिल रहा है

एक नियम यह भी समझ लेना चाहिए कि जब किसी वस्तु में सुख नहीं है तो किसी वस्तु से दुख भी नहीं मिल सकता. दुख मिलना केवल सुख मिलने पर निर्भर है. देखिए, उमेश के मरने पर सर्वाधिक दुख स्त्री को, उससे कम पुत्र को, उससे कम मित्र को, उससे कम नौकर को, न सुख न दुख पड़ोसी को, एवं सुख कर्जदार पड़ोसी को मिला. इसका भावार्थ यह है कि जिस व्यक्ति को जिस वस्तु के मिलने से जितना आनंद मिलता है उस व्यक्ति को उस वस्तु के बियोग में उतना ही दुख भी मिलता है. वस्तुतः उस वस्तु में दुख नहीं होता यह हमारी ही काल्पनिक मान्यता का परिणाम मात्र है.

दूसरी बात यह भी है कि जिस वस्तु से जिसे जो सुख मिलता है वह भी प्रतिक्षण घटता हुआ होता है जैसे एक माँ अपने खोए हुए पुत्र के लिए २ दिन से रो रही है उसकी अभिलाषा है एक बार पुत्र मिल जाता तो उसको दौड़कर चिपटाकर प्यार कर लेती. मान लीजिए वह मिल गया. अब उसने दौड़ लगायी बेटा ! बेटा !कहकर बेटे को चिपटाया बड़ा आनंद मिला. दूसरी बार चिपटाया, आनंद कम मिला, तीसरी बार और कम, दसवीं बार न आनंद मिला न दुख, ग्यारहवीं बार माँ यह कहने लगी लगी," बेटा जाओ खेल आओ मगर बेटा अब भी गोद में चिपटा रहना चाहे तो माँ को दुख भी होने लगता है और वह झल्ला कर कहती है क्या तुम एक अनोखे बेटे हो जो हमेशा तुम्हें छाती पर चढ़ाये रखें और भी तो काम करना है

आप लोग रसगुल्ला खाते होंगे. जब पहला रसगुल्ला खाते हैं तो बड़ा सुख, दूसरे मैं उससे कम सुख, तीसरे में और कम, दसवें में न सुख न दुख, ग्यारहवें में दुख, पंद्रहवें में इतना दुः ख मिलता है कि आप चिल्ला पड़ते हैं कि,"अरे भाई मर जाएंगे अब न खिलाओ उल्टी होने वाली है." यदि रसगुल्ले में सुख है तो यह कमीबेशी क्यों? एवं पुनः दुख क्यों? यह सब धोखा है यह हमारी ही कल्पना का परिणाम है.

प्यास लगने पर पानी प्रिय लगता है, प्यास समाप्त होने होते ही पानी अप्रिय लगता है. कामयुक्त पुरुष को स्त्री अच्छी लगती है काम रहित होने पर वही स्त्री भार सी लगती है. यह सब का स्वयं अनुभूत विषय है. अतएव यह भ्रांति समझ में आ जानी चाहिए कि संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं है.यह तो हमारी स्वयं की ही कल्पना का दुष्परिणाम है देखिए आप लोग यह समझते हैं कि सुंदरता में सुख है किन्तु आप की अनुभूति इसके विपरीत होती है जैसे एक माँ का कुरूप पुत्र मेले में खो गया है वह कोतवाली में इकट्ठे अनेक बच्चे देखती है किन्तु उसे सुख नहीं मिलता उसे तो अपना काना कुरूप बच्चा ही सुख प्रद हो सकता है.

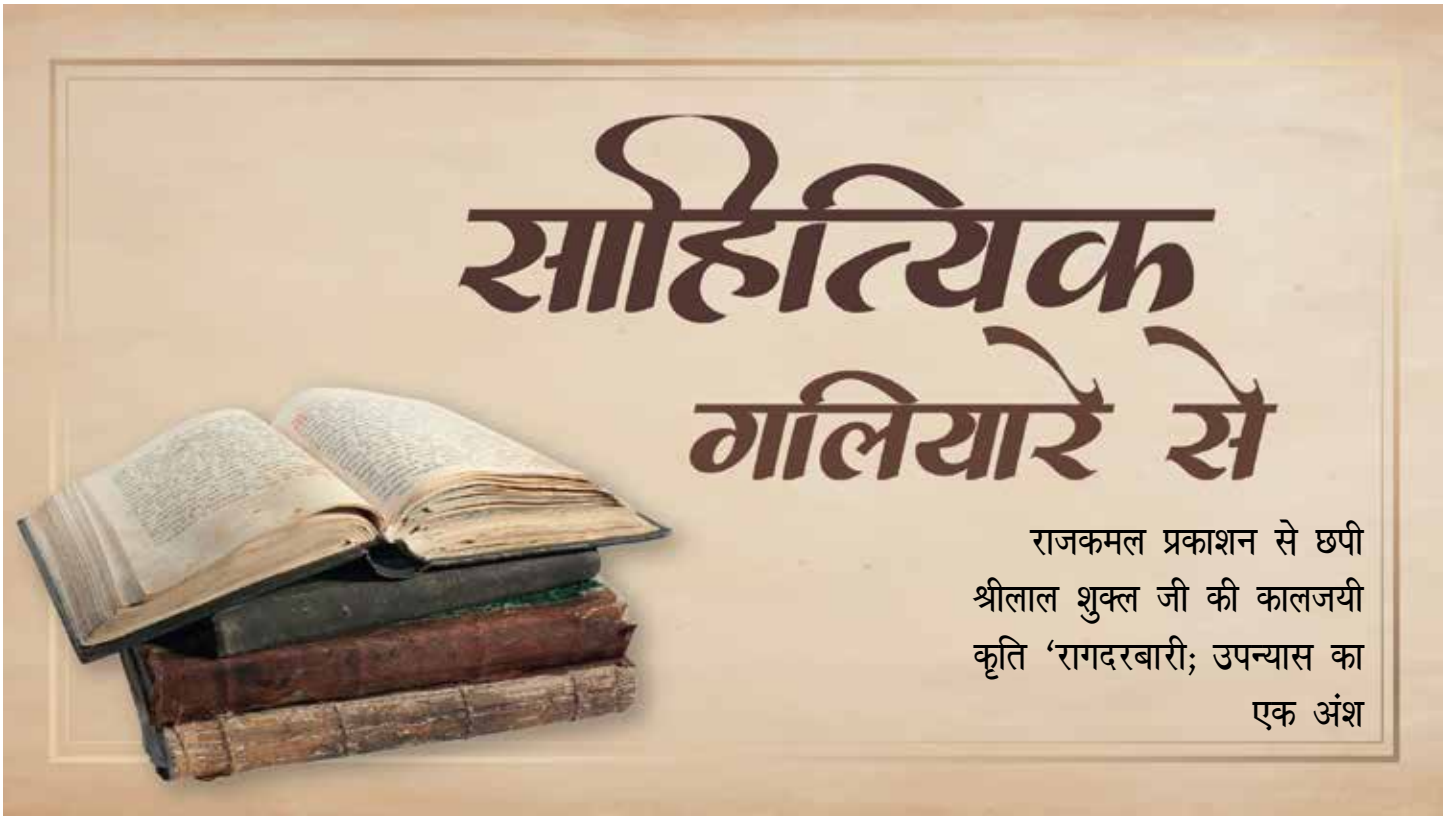

साहित्यिक गलियारे से

राजकमल प्रकाशन से छपी श्रीलाल शुक्ल जी की कालजयी कृति 'रागदरबारी; उपन्यास का एक अंश

"ट्रक के पीछे से काफ़ी देर से हार्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटककर ड्राइवर की कनपटी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफ़नाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ़्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बायीं पटरी पर कर लिया।

हार्न की आवाज़ एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएँ से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा दिया। दोनों गाड़ियां रुक गईं।

स्टेशन वैगन से एक अफ़सरनुमा चपरासी और एक चपरासीनुमा अफ़सर उतरे। खाकी पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीना। किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैक व्यू मिरर खटखटाने लगा तो कोई ट्रक का हार्न बजाने लगा। कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुट बोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियाँ जलाईं, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा, वह ख़राब निकला। जिस चीज़ को छुआ, उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने चार मिनट में लगभग चालीस दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बहस करनी शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सुलूक किया जाए।

रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियाँ सच्ची हैं। ट्रक की चेकिंग हो रही है और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा। पर इसी बीच ड्राइवर ने मौक़ा निकालकर कहा," श्रीमान जी ज़रा नीचे उतर आवें। वहाँ गियर पकड़कर बैठने की अब क्या ज़रूरत है?"

रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्ज़े को लेकर बहस चल रही थी। देखते देखते बहस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुरवस्था पर आ गई और थोड़ी ही देर में उपस्थित लोगो ंकी छोटी छोटी उप समितियां बन गई। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक-एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगी। काफ़ी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा और कुछ देर में जान पड़ा, गोष्ठी ख़त्म होने वाली है।

आखरी में रंगनाथ को अफ़सर की मिमीयाती आवाज़ सुन पड़ी, "तो क्यों मियाँ अशफाक क्या राय है? माफ़ किया जाये? "चपरासी ने कहा, "और कर ही क्या सकते हैं हजूर? कहाँ तक चालान कीजियेगा। एकाध गड़बड़ी हो तो चालान भी करें "एक सिपाही ने कहा, "चार्जशीट भरते

भरते सुबह हो जाएगी। “इधर उधर की बातों के बाद अफ़सर ने कहा, “अच्छा जाओ जी बंटा सिंह तुम्हें माफ़ किया।“ ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, “ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं।“अफ़सर काफ़ी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ वह उसकी ओर आया। पास आकर पूछा, “आप भी इसी ट्रक पर जा रहे है।“

”जी हाँ“

”आप से इसने कुछ किराया तो नहीं लिया है?“

”जी नहीं“

अफ़सर बोला, “वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया था, पर जाँच करना मेरा फ़र्ज़ था।“रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, “यह असली खादी थोड़े ही है। यह मिल की खादी है।’उसने इज्जत के साथ कहा, “अरे साहब खादी तो खादी! उसमें असली नक़ली का क्या फिर फ़र्क।“अफ़सर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, “ज़रा दो रुपया तो निकालना जी! “उसने मुँह फेरकर कड़ाई से जवाब दिया, “क्या मतलब है? मैं रुपया क्यों दूँ? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा श्रीमानजी मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, “तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई। और तुम्हीं मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो? तुम्हारी यही तालीम है?

वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक ही जगह जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया।

रंगनाथ ने देखा शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है, शिवपाल गंज अभी पाँच मील दूर है और उसे लोगों की सद्भावना की ज़रूरत है। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हार्न बजा बजाकर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने दो रूपये ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, “अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो। मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूँगा? कहते कहते उसकी आवाज़ में उन सन्यासियों की खनक आ गई जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ़ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है।“

www.lawcode.eu से साभार

आज की दुनिया में, जो वैश्विक चुनौतियों की विशेषता है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हमारी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य काफी हद तक एक बरकरार पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है। हालाँकि, वास्तविकता यह है कि प्रदूषण हमारी आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। वायु प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण से लेकर महासागरों के प्रदूषण तक - इसके प्रभाव कई गुना हैं और हम सभी को प्रभावित करते हैं। विषेश रूप से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के समय में, हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्रवाई करने की अत्यावश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होती जा रही है। इस संदर्भ में खतरनाक संकेत हैं, उदाहरण के लिए, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवासों का विनाश, जो यह स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है। यह लेख विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का विश्लेषण करता है, लोगों और प्रकृति पर उनके प्रभाव पर चर्चा करता है, और पर्यावरण संरक्षण उपायों को लागू करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जलवायु मुकदमों और अन्य उपायों की भूमिका की जांच करता है।

संक्षेप में: पर्यावरण प्रदूषण पर एक नजर

प्रदूषण का मतलब है हवा, पानी या मिट्टी में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश। इसका असर प्रकृति और मानव जीवन दोनों पर पड़ता है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि समुद्री और मीठे पानी का प्रदूषण समुद्री आवासों को खतरे में डालता है और पीने के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। मृदा प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और मिट्टी की उर्वरता को कम करता है।

वायु, जल और मृदा प्रदूषण जैसे प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं , साथ ही विकिरण, ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण जैसे गैर-भौतिक उत्सर्जन भी हैं। उद्योग, ऊर्जा उत्पादन और गहन कृषि इसमें योगदान करते हैं। प्रदूषण के परिणाम बहुत ही भयानक हैं और इनका असर न केवल वन्यजीवों पर पड़ता है, बल्कि इंसानों पर भी पड़ता है। जलवायु से जुड़े मुकदमों ने दुनिया भर में महत्व हासिल कर लिया है, जिससे पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए सरकारों और कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना संभव हो गया है। प्रदूषण से निपटने के लिए, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने, उत्सर्जन की निगरानी करने, हानिकारक रसायनों को विनियमित करने और वैष्विक CO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने जैसे उपाय आवश्यक हैं। एक टिकाऊ भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

सरकारें सख्त पर्यावरण मानकों को लागू करती हैं, कंपनियाँ तेजी से अधिक पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपना रही हैं, और उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों और सेवाओं की मांग कर रहे हैं। व्यक्तिगत कार्य भी

योगदान दे सकते हैं, जैसे एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करना, ऊर्जा की बचत करना और सचेत रूप से उपभोग करना।

हमारे स्वास्थ्य और अगली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपाय करना महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं।

पर्यावरण प्रदूषणः एक परिभाषा

स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों, जिनमें हम मनुष्य भी शामिल हैं, के कल्याण का आधार बनता है। एक अखंड पर्यावरण न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार मानव अधिकारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। हर किसी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और एक अखंड प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकार है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारों की रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए।

ऐसे विश्व में जहां प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बढ़ रहे हैं, हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्रवाई करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।प्रदूषण एक व्यापक समस्या है जिसका स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। यह अधिकार सीधे पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के दायित्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस अधिकार की गारंटी और भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण के खिलाफ लगातार लड़ाई जरूरी है। लेकिन प्रदूषण वास्तव में क्या है?

पर्यावरण प्रदूषण भारी धातुओं और कीटनाशकों जैसे हानिकारक पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश है, चाहे वह हवा हो, पानी हो या मिट्टी। इसके प्रभाव कई गुना हैं और न केवल प्रकृति बल्कि मानव जीवन को भी प्रभावित करते हैं। हवा में मौजूद रसायन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जबकि प्रदूषित पानी न केवल पीने के पानी की पहुंच को प्रभावित कर सकता है बल्कि कृषि को भी प्रभावित कर सकता है। अपशिष्ट या उत्सर्जन से होने वाला वायु प्रदूषण न केवल जलवायु को प्रभावित करता है, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इसलिए प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है जिसका हमारे दैनिक जीवन और हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार

वायु प्रदूषणः

वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह मुख्य रूप से प्रदूषकों के कारण होता है जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायु की गुणवत्ता में गिरावट लाते हैं। ये हानिकारक पदार्थ अस्थमा, हृदय रोग और स्ट्रोक के विकास से जुड़े हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने में एक समस्या हानिकारक पदार्थों में लगातार बदलाव है। ऐसे कई वायु प्रदूषक हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। जब ये प्रदूषक हवा में छोड़े जाते हैं, तो वे तापमान, आर्द्रता और अन्य पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर एक-दूसरे और पर्यावरण के साथ जटिल तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं।

समुद्री प्रदूषणः

समुद्री प्रदूषण में प्लास्टिक अपशिष्ट, तेल, रसायन और अपशिष्ट जल जैसे हानिकारक पदार्थों को महासागरों में डालना शामिल है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जीवन के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम होते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट, विशेष रूप से प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग और प्लास्टिक बैग जैसे एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा हैं। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक अपशिष्ट को जानवर भोजन समझकर खा सकते हैं और इससे घातक चोट या दम घुटने की समस्या हो सकती है। तेल रिसाव का समुद्री जीवन पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है। रसायन और सीवेज पानी को प्रदूषित कर सकते हैं और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

ताजे पानी का प्रदूषणः

पीने के पानी का दूषित होना एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खतरा है जो पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसमें नदियों, झीलों और भूजल स्रोतों में रसायनों, कीटनाशकों और सीवेज जैसे हानिकारक पदार्थों का निर्वहन शामिल है। ये संदूषक पानी को पीने, कृषि और जलीय कृषि के लिए अनुपयोगी बना सकते हैं।

मिट्टी का प्रदूषणः

मृदा प्रदूषण का तात्पर्य रसायनों, भारी धातुओं, कीटनाशकों और अपशिष्ट जैसे हानिकारक पदार्थों द्वारा मिट्टी के संदूषण से है। यह प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से हो सकता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके प्रभाव बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र

और बंजर मिट्टी से लेकर बीमारी के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि और फसल की पैदावार में कमी तक हो सकते हैं।

दूषित स्थल और मृदा क्षरण:

दूषित स्थल वे स्थल हैं जो मानवीय गतिविधियों के कारण दूषित हो गए हैं और जो लोगों और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा करते हैं। ये रसायन, भारी धातु या अन्य प्रदूषकों के कारण हो सकते हैं और स्थायी मृदा प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर, मृदा क्षरण का अर्थ है कटाव, सीलिंग या अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी। इससे मृदा की उर्वरता में कमी, आवासों का विनाश और जल की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है।

अपशिष्ट का उत्पादन:

कचरे का पर्यावरण प्रदूषण से क्या संबंध है? अगर कचरे का उचित तरीके से निपटान नहीं किया जाता है, तो इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक कचरा जल निकायों में जाकर समुद्री आवासों और समुद्री जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा, कचरे को जलाने से हानिकारक उत्सर्जन निकल सकता है और वायु प्रदूषण में योगदान हो सकता है।

गैर-भौतिक उत्सर्जन से प्रदूषण:

पर्यावरण प्रदूषण और इसके विभिन्न रूपों पर चर्चा करते समय, गैर-भौतिक उत्सर्जन के कारण होने वाले प्रदूषण पर करीब से नजर डालना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रदूषण में विकिरण, ध्वनि और प्रकाश प्रदूषण जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिन्हें अक्सर कम करके आंका जाता है।

विकिरण विभिन्न स्रोतों से आ सकता है, उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन मस्तूल या एक्स-रे मशीनों से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सहित। हालाँकि प्रदूषण का यह रूप वायु या जल प्रदूषण की तुलना में कम दिखाई देता है, उदाहरण के लिए, इसका लोगों और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने का जोखिम होता है, विशेष रूप से डीएनए के क्षेत्र में।

ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से यातायात, उद्योग या निर्माण स्थल के शोर के कारण होता है और इससे तनाव, नींद संबंधी विकार और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। शहरीकरण बढ़ने से यह समस्या और भी बढ़ जाती है।

प्रकाश प्रदूषण को भी अक्सर कम करके आंका जाता है, हालांकि इसका वनस्पतियों और जीवों के साथ-साथ मानव बायोरिदम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रात के समय की रोशनी खास तौर पर शहरों में एक बड़ी समस्या है।

इसलिए न केवल पर्यावरण प्रदूषण के पारंपरिक रूपों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, बल्कि गैर-भौतिक उत्सर्जन पर भी नजर रखना और इन प्रभावों को कम करने के उपाय करना भी महत्वपूर्ण है।

हानिकारक पदार्थ

आज की दुनिया में, विभिन्न पदार्थों के बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है जो संभावित रूप से पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। हानिकारक पदार्थों की सूची लंबी और विविध है। रसायन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं - चाहे उद्योग में हो या घर में। भारी धातुएँ जैसे सीसा, पारा और कैडमियम विशेष रूप से लोगों और पर्यावरण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

तेल, चाहे कच्चे तेल के रूप में हो या पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। कृषि में नाइट्रेट और फास्फेट जैसे उर्वरकों के साथ-साथ कीटनाशकों, शाकनाशियों और कवकनाशियों का अनुचित उपयोग भी हमारे पर्यावरण के प्रदूषण में योगदान देता है।

जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन डाइअहक्साइड निकलता है, जिसका हमारे जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। CO2 के अलावा, नाइट्रोजन आक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइआक्साइड, फार्मास्यूटिकल्स और एंटीबायोटिक्स भी पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं। नाइट्रोजन आक्साइड मुख्य रूप से यातायात और औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होते हैं और वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। अमोनिया मुख्य रूप से कृषि द्वारा उत्सर्जित होता है और मिट्टी और पानी के अम्लीकरण में योगदान देता है। सल्फर डाइआक्साइड मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित होता है और अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान देता है।

औषधियां और एंटीबायोटिक्स अक्सर अपशिष्ट जल के माध्यम से पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध या जलीय जीवन में परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

बेंजीन जैसे हाइड्रोकार्बन और रेडियोधर्मी पदार्थ अतिरिक्त जोखिम पैदा करते हैं। इन खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर लंबे समय तक और गहन संपर्क के मामले में।

प्रदूषण कौन पैदा करता है? प्रदूषण के स्रोत

पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारण होता है। भारी उद्योग और ऊर्जा उत्पादन विशेष रूप से इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रदूषकों और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पर्यावरण को प्रदूषित करता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।

वायु

वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत मानवीय गतिविधियाँ हैं। उत्सर्जन मुख्य रूप से घरों, उद्योग, परिवहन और कृषि गतिविधियों में ऊर्जा के उपयोग के कारण होता है। परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन विशेष रूप से अधिक है। वाहनों से उच्च **CO2** उत्सर्जन और जीवाष्म ईंधन के दहन से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं और हमारे द्वारा साँस ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा, सड़कों का दैनिक उपयोग कटाव के माध्यम से और अधिक प्रदूषक पैदा करता है। नाइट्रोजन और सल्फर अहक्साइड जैसे दहन उत्पाद वातावरण में अम्लीय वर्षा में बदल जाते हैं, जो मिट्टी को अम्लीय बना देता है। इससे मिट्टी में एल्युमिनियम आयन निकलते हैं, जो पौधों और मिट्टी के जीवाणुओं को नुकसान पहुँचाते हैं।

यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार, घरेलू हीटिंग सिस्टम वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय इमारतें पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5) उत्सर्जन में 53% योगदान देती हैं। यूरोप में नाइट्रोजन आक्साइड (NOx) उत्सर्जन का लगभग 45% और अन्य प्रमुख प्रदूषक उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यातायात के कारण होता है। सड़क यातायात भी पर्यावरणीय शोर का सबसे आम स्रोत है, जो यूरोप में कई लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके विपरीत, यूरोप में 90% अमोनिया उत्सर्जन कृषि के कारण होता है।

जमीन

मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे अक्सर कम आंका जाता है। यह पौधों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो बदले में हमारे आहार का आधार बनते हैं। मिट्टी पानी का भंडारण भी करती है और जलवायु को नियंत्रित करती है। हालाँकि, पर्यावरण प्रदूषण और गहन कृषि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को लगातार खतरे में डाल रही है।

मृदा प्रदूषण के कारण विविध और अक्सर खेदजनक होते हैं। औद्योगिक गतिविधियाँ, अनुचित अपशिष्ट निपटान, कृषि पद्धतियाँ और खनन उनमें से हैं। पारंपरिक कृषि में अक्सर हानिकारक खेती के तरीकों का उपयोग किया जाता है जो दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन और परमाणु अपशिष्ट निपटान भी मृदा प्रदूषण में योगदान करते हैं। जहरीली मिट्टी नाटकीय रूप से मधुमक्खियों की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार, यूरोपीय संघ में ६०-७५: कृषि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक है। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट के कारण प्रति वर्ष ५० बिलियन यूरो से अधिक की लागत आती है।

जल

हमारे जल का प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसके कई कारण हैं। मनुष्य इसका मुख्य कारण है, साथ ही कृषि जैसे उद्योग भी जल के उपभोग और प्रदूषण दोनों के माध्यम से इसमें योगदान देते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल, कृषि उर्वरक, घरेलू अपशिष्ट, तेल और अन्य प्रदूषकों जैसे प्रदूषकों का प्रवेश यहाँ निर्णायक भूमिका निभाता है। ये पदार्थ मिट्टी के माध्यम से या सीधे नदियों, झीलों और महासागरों में भूजल में प्रवेश करते हैं और जल की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

महासागर

महासागरों के प्रदूषण से समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण और तेल रिसाव से लेकर रासायनिक अवशेषों तक कई अलग-अलग कारण हैं। प्लास्टिक कचरा विशेष रूप से गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि यह धीरे-२ विघटित होता है और इसलिए लंबे समय तक समुद्र में रहता है।

दूसरी ओर, तेल रिसाव तेल ड्रिलिंग दुर्घटनाओं या टैंकर दुर्घटनाओं के कारण हो सकता है और समुद्री जीवन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह प्रदूषण न केवल हमारे खाद्य संसाधनों को खतरे में डालता है, बल्कि महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों और समुद्री पक्षियों को भी खतरे में डालता है। जहरीले शैवाल कालीन समुद्री आवास को और भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। विशेष रूप से चिंता का विषय तथाकथित मृत क्षेत्र हैं, जहां जीवन अब संभव नहीं है।

महासागरों में अत्यधिक मछली पकड़ना भी प्रदूषण का एक निर्णायक कारक है। मछली भंडार का अंधाधुंध दोहन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर करता है और दीर्घावधि में उन्हें नुकसान पहुंचाता है।

इस पर्यावरणीय विनाश के परिणाम गंभीर हैं और इससे न केवल वनस्पति और जीव प्रभावित होते हैं, बल्कि तटीय पर्यटन को भी काफी नुकसान होता है।

पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम

पर्यावरण प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव

लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ अध्ययन एक ऐतिहासिक अध्ययन है जो मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों पर एक चिंताजनक नजर डालता है। यह व्यापक विश्लेषण पर्यावरण प्रदूषण और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंधों को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वायु और जल प्रदूषण और रसायनों का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

लैंसेट अध्ययन के अनुसार, उद्योग, परिवहन और कृषि से होने वाले प्रदूषण के आधुनिक रूपों के कारण होने वाली असामयिक मौतों की संख्या में सहस्राब्दी की शुरुआत से ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हर साल, दुनिया भर में नौ मिलियन से अधिक लोग मरते हैं - इसका मतलब है कि प्रदूषण छह मौतों में से एक के लिए जिम्मेदार है । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से ९० प्रतिशत से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

अध्ययन के नतीजे चिंताजनक हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण न केवल प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे अपने स्वास्थ्य और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण प्रदूषण के स्वास्थ्य परिणाम बहुत दूरगामी हैं। हवा में मौजूद

हानिकारक रसायनों और कणों के संपर्क में आने से अस्थमा और एलर्जी जैसी श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। इसी तरह, प्रदूषित पानी से जठरांत्र संबंधी बीमारियाँ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। प्रदूषण के संपर्क में आने से हृदय संबंधी बीमारी का जोखिम भी बढ़ सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों को विशेष रूप से जोखिम होता है।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

वन्यजीवों पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव चिंताजनक हैं। कई पशु प्रजातियाँ प्रदूषित आवासों के परिणामों से पीड़ित हैं, चाहे वह जल निकायों के रासायनिक प्रदूषण के माध्यम से हो या वायु प्रदूषण के माध्यम से। विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियाँ अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं और अस्तित्व संबंधी चुनौतियों का सामना करती हैं। मिट्टी और जल प्रदूषण प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं और जानवरों के भोजन स्रोतों को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा, हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं और वन्यजीवों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।

हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों से भारी रूप से प्रभावित है, जिससे जैव विविधता में महत्वपूर्ण गिरावट आ सकती है, क्योंकि कई प्रजातियाँ बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो पाती हैं। उदाहरण के लिए, जल प्रदूषण जलीय आवासों के विनाश और मछली स्टाक में भारी गिरावट का कारण बन सकता है। रसायनों से मिट्टी का प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है जो कृषि और मिट्टी के जीवों के जीवन को प्रभावित करती है। एक अक्षुण्ण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना जलवायु और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।

हवा और पानी पर प्रभाव

यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी (ईईए) की एक रिपोर्ट के अनुसार , वायु प्रदूषण के कारण २०१५ में यूरोप में लगभग पांच लाख लोग मारे गए तथा विश्व भर में हर वर्श लगभग ६.५ मिलियन लोग मारे गए।

हम जिस हवा में सांस लेते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वातावरण में रासायनिक यौगिक, निकास धुएं और कण पदार्थ जैसे प्रदूषकों के निकलने से हवा प्रदूषित होती है। इससे श्वसन संबंधी रोग, एलर्जी और यहां तक कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जहां वायु प्रदूषण अक्सर बहुत अधिक होता है, विषेश रूप से जोखिम में हैं।

पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी आवश्यक है। हालाँकि, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे पानी की शुद्धता और गुणवत्ता खतरे में पड़ रही है, जिससे स्वच्छ पेयजल तक पहुँच खतरे में पड़ रही है। रसायन, अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ हमारे पानी में मिल जाते हैं और मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करते हैं। यूनिसेफ के अनुसार, दूषित पेयजल के कारण हर दिन हजारों बच्चे मरते हैं।

नदियों, झीलों और महासागरों के प्रदूषण का वनस्पतियों और जीवों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के महत्व को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।

तेल रिसाव और मृत क्षेत्र

तेल रिसाव पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप है जो जल निकायों में तेल के रिसाव के कारण होता है। वे अक्सर तेल प्लेटफार्मों पर दुर्घटनाओं या टैंकरों द्वारा तेल के परिवहन के कारण होते हैं। तेल के छींटे पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं क्योंकि वे पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। तेल पानी की सतह पर एक पतली परत बनाता है और पक्षियों, मछलियों और अन्य जानवरों को प्रदूषित या जहर दे सकता है। तेल के छींटों को साफ करना बेहद मुश्किल और महंगा है, क्योंकि इसके लिए विशेष तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता होती है।

मृत क्षेत्र

मृत क्षेत्र दुनिया के महासागरों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि जीवन मुश्किल से संभव है। ये खतरनाक क्षेत्र मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे कि पानी के अत्यधिक निषेचन और प्रदूषण के कारण होते हैं। कृषि और अपशिष्ट जल से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के इनपुट से पानी में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ प्रवेश करते हैं। ये पदार्थ शैवाल के लिए पोषक तत्वों के

रूप में काम करते हैं, जो विस्फोटक रूप से बढ़ते हैं। जैसे ही शैवाल बैक्टीरिया द्वारा तोड़े जाते हैं, ऑक्सीजन की खपत होती है, जिससे ऑक्सीजन के स्तर में नाटकीय गिरावट आती है। मृत क्षेत्रों के प्रभाव समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी हैं: मछली, केकड़े और अन्य जीव सचमुच दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। इससे प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना और महासागरों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर करना होता है।

पर्यावरण प्रदूषण का इतिहास

पर्यावरण प्रदूषण की उत्पत्ति पाषाण युग से हुई है। उस समय लोग

जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें कैम्प फायर पर पकाते थे। राख और कालिख के कण मानव भोजन संग्रह गतिविधियों से जुड़े पहले प्रदूषक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषित किया। हालाँकि, प्रदूषण का यह रुप अभी भी काफी छोटा था।

मानव बस्तियों ने नए पर्यावरणीय दबाव पैदा किए, जैसे कि पशुधन खेती और कृषि के माध्यम से पानी और मिट्टी का प्रदूषण। हालाँकि, यह नुकसान विशेष रूप से गंभीर नहीं था। जैसे ही लोग भूमि छोड़कर आगे बढ़े, पारिस्थितिकी तंत्र ठीक हो गया।

मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, इसके संकेत प्राचीन काल से ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए, रोमन सीवेज के कारण नदियों और जल निकायों का प्रदूषण हुआ।

१९वीं सदी में, औद्योगिकीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव अपने पहले चरम पर पहुंच गया। लोगों ने प्रकृति को त्याग दिया, अपने गांव छोड़ दिए और शहरों की ओर चले गए। १९वीं सदी में शुरू हुआ ग्रामीण पलायन पर्यावरण प्रदूषण की शुरुआत का संकेत था। शहरों के ऊपर आसमान में धुएं के बादल छा गए और नदियां इतनी प्रदूषित हो गईं कि अब उन्हें पीने के पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इस पर्यावरणीय विनाश की सीमा ने अंततः पहले पर्यावरण संरक्षण कानून पारित किए।

आज हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, विशेषकर जलवायु परिवर्तन और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव के संबंध में।

क्या इससे भी बदतर हो सकता है? प्रदूषण से लेकर पर्यावरण विनाश तक

प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें अक्सर एक दूसरे के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर हैं। प्रदूषण का मतलब पूरी तरह से पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है, जैसे कि निकास धुएं, सीवेज, रसायन या प्लास्टिक अपशिष्ट। ये प्रदूषक हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं और मनुष्यों, जानवरों और पौधों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं।

इसके विपरीत, पर्यावरणीय गिरावट का मतलब प्राकृतिक आवासों और पारिस्थितिकी तंत्रों को स्थायी क्षति या विनाश से है। यहाँ कुछ चिंताजनक मामले दिए गए हैं जो बताते हैं कि हमारे पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का कितना गंभीर प्रभाव हो सकता है:

१. १९९९ में एक्सहन वाल्डेज टैंकर रिसाव जैसी तेल आपदाओं के कारण समुद्री पारिस्थिति की तंत्र में भारी प्रदूशण हुआ।

२. वनों की कटाई तथा वर्षा वनों को काट-काट कर जला देना, उदाहरण के लिए अमेजन क्षेत्र में, अवैध रूप से कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए।

इन हस्तक्षेपों का पारिस्थितिकी संतुलन और कई पशु एवं वनस्पति प्रजातियों के अस्तित्व पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

पर्यावरण प्रदूषण का जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों से क्या संबंध है?

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध एक जटिल अंतर्क्रिया है जिसका हमारे ग्रह पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जीवाष्म ईंधन के उपयोग, वनों की कटाई और गहन कृषि के माध्यम से पर्यावरण के निरंतर प्रदूषण से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि होती है। कार्बन डाइआक्साइड और मीथेन जैसी ये ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी की ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करती हैं और औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं - जिसे जलवायु परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, तूफान और लू जैसी चरम मौसमी घटनाएँ होती हैं, जो न केवल पर्यावरण प्रणालियों को प्रभावित

करती हैं, बल्कि मनुष्यों और जानवरों पर भी भारी असर डालती हैं। इसके अलावा, महासागरों के गर्म होने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आती है और ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ पिघलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन न केवल हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों के लिए खतरा हैं, बल्कि दुनिया भर में मानवाधिकारों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण कई आवासों को नष्ट कर रहा है, लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा है और जैव विविधता को खतरे में डाल रहा है। नतीजतन, कई लोगों की आजीविका खतरे में है और उनके बुनियादी मानवाधिकार जैसे कि स्वच्छ पानी, भोजन, सुरक्षित पर्यावरण और एक अखंड प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकार की गारंटी नहीं है।

जलवायु परिवर्तन चरम मौसमी घटनाओं के कारण इस समस्या को और बढ़ा देता है। इन घटनाओं के कारण अक्सर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे आजीविका का नुकसान, पैतृक क्षेत्रों से विस्थापन और जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का हनन।

पर्यावरणीय अधिकारों को मजबूत करने के लिए जलवायु मुकदमे

जलवायु मुकदमे व्यक्तियों या समूहों द्वारा सरकारों या कंपनियों के खिलाफ लाए गए कानूनी कार्य हैं, ताकि उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके और पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए कार्रवाई की मांग की जा सके। हाल के वर्षों में, जलवायु मुकदमे दुनिया भर में तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि अधिक से अधिक लोग जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता को पहचानते हैं और परिवर्तन लाने के लिए कानूनी साधनों की तलाश करते हैं।

ऐसे मुकदमे कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों के खिलाफ हर्जाने के दावे या पर्यावरण संरक्षण उपायों को लागू करने में विफल रहने के लिए सरकारों के खिलाफ मुकदमे शामिल हैं। वे अक्सर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों या राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा को विनियमित करते हैं।

जलवायु मुकदमे पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रभावित लोगों को सरकारों या कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करते हैं। जलवायु मुकदमों का उपयोग जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और बदलाव के लिए दबाव बनाने के लिए

किया जा सकता है। ये कानूनी कदम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं।

कई देशों में, जलवायु संबंधी मुकदमों ने शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करके और कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करके पहले से ही सकारात्मक बदलाव लाए हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को सार्वजनिक बहस में सबसे आगे लाने और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए जलवायु संबंधी मुकदमे पर्यावरण की रक्षा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुरक्षित करने के वैश्विक प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

दुनिया भर में जलवायु संबंधी मुकदमों के उदाहरण

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में कानूनी कार्रवाई का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न देश सरकारों और कंपनियों को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में उनकी भूमिका के लिए जवाबदेह ठहराने के उद्देश्य से मुकदमों का सामना कर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने और सरकारों और कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के लिए वर्तमान में विभिन्न देशों में जलवायु मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण जर्मन पर्यावरण संगठन उमवेल्थिल्फ द्वारा जर्मन सरकार के खिलाफ अपर्याप्त जलवायु संरक्षण उपायों के लिए दायर की गई संवैधानिक शिकायत है। अमेरिका में, नागरिक और हमारे बच्चों के ट्रस्ट जैसे संगठन स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मुकदमे दायर कर रहे हैं। नीदरलैंड में, उर्जेंडा फाउंडेशन ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की जब अदालत ने फैसला सुनाया कि सरकार अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाध्य है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जलवायु मुकदमे दुनिया भर में महत्व प्राप्त कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ये जलवायु मुकदमे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाते हैं। वे यह भी दिखाते हैं कि दुनिया भर के नागरिक अधिक स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी मांगों को लागू करने के लिए कानूनी साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का वर्तमान मामला कानून

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के हालिया फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर न्यायालय निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मानवाधिकार मानकों को लागू करके न्यायालय पर्यावरण संरक्षण मानकों को लागू करने और नागरिकों को उनके रहने के

वातावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

न्यायालय के फैसले न केवल महत्वपूर्ण मानक निर्धारित करते हैं, बल्कि राजनीति और व्यवसाय में पर्यावरण के अनुकूल कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में जागरूकता भी बढ़ाते हैं। सरकारों और कंपनियों को अपने व्यवहारों पर पुनर्विचार करने और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए संधारणीय उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ईसीटीएचआर के हालिया फैसले का पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में मानवाधिकारों की सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वेरीन क्लिमासेनियोरिनन श्वाइज बनाम स्विटजरलैंड (९ अप्रैल, २०२४ के ग्रैंड चौंबर के फैसले, संख्या ५३६००/२०) के मामले में दिए गए फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों का मानवाधिकार दायित्व है कि वे अपने नागरिकों के पर्यावरण अधिकारों की रक्षा करें और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी लें।

यहां वर्तमान क्रांतिकारी मामले कानून का संकलन है:

वेरीन क्लाइमसेनियोरिनन श्वाइज बनाम स्विटजरलैंड मामला एक स्विस एसोसिएशन और उसके सदस्यों, वृद्ध महिलाओं के एक समूह द्वारा की गई शिकायत से संबंधित है, जो अपने जीवन की स्थिति और स्वास्थ्य पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, कि स्विस अधिकारी जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

वेरीन क्लाइमसेनियोरिनन श्वाइज बनाम स्विटजरलैंड मामले में, वादीगण ने जलवायु परिवर्तन - विषेश रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों - को कम करने में स्विस प्राधिकारियों की विभिन्न विफलताओं के बारे में शिकायत की थी, जिसके बारे में उनका मानना है कि उनके जीवन, रहन-सहन की स्थिति और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने शिकायत की कि स्विस परिसंघ जीवन की प्रभावी सुरक्षा (अनुच्छेद २ ईसीएचआर) तथा उनके घर सहित उनके निजी और पारिवारिक जीवन के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने (अनुच्छेद ८ ईसीएचआर) के लिए कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है।

उन्होंने यह भी शिकायत की कि कन्वेंशन के अनुच्छेद ६ (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार) के अंतर्गत उन्हें न्यायालय तक पहुंच नहीं है, क्योंकि राज्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने में विफल रहा है।

ईसीटीएचआर का निर्णय

क्या मानवाधिकार न्यायालय जलवायु परिवर्तन पर निर्णय दे सकता है? ECtHR ने स्पष्ट उत्तर दिया: हाँ। हालाँकि न्यायालय की भूमिका मानवाधिकार सम्मेलन को बनाए रखना है और इसका एकमात्र उद्देश्य इसमें निहित अधिकारों की रक्षा करना है, फिर भी यह उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ सम्मेलन का कार्यान्वयन जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होता है।

सबसे पहले, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के तथ्यों को याद किया। यह एक बढ़ता हुआ खतरा है, और कई दौर की बातचीत और कार्य योजनाओं के बावजूद, राज्यों द्वारा उठाए गए कदम अभी भी सुरक्षित और रहने योग्य ग्रह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों से बहुत कम हैं। न्यायालय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए अपर्याप्त उपायों के मद्देनजर, व्यक्तियों के लिए हानिकारक परिणामों का जोखिम लगातार बढ़ रहा है।

न्यायालय ने न केवल यह माना कि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक और प्रगतिशील खतरा है, बल्कि यह भी कि वर्तमान में इसका - और भविष्य में भी - कन्वेंशन में सूचीबद्ध अधिकारों के प्रयोग पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूरोप परिषद के सदस्य देशों को जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर उनके हस्ताक्षर से स्पष्ट है। वे यह भी जानते हैं कि यदि राज्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को १.५ डिग्री सेल्सियस या

उससे कम तक सीमित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, तो व्यक्तियों और समुदायों के लिए जोखिम काफी कम हो जाएगा। इस संदर्भ में, एक मानवाधिकार न्यायालय जलवायु परिवर्तन पर फैसला सुना सकता है।

न्यायालय के अनुसार, यह भी निर्णायक है कि वर्तमान पीढ़ियों के अतिरिक्त, भविष्य की पीढ़ियों को भी जलवायु परिवर्तन से निपटने में आज की विफलताओं और चूकों के परिणामों का भारी बोझ उठाना पड़ेगा।

प्रभावित अधिकार

» अनुच्छेद २ ईसीएचआर - जीवन का अधिकार

» अनुच्छेद ८ ईसीएचआर - निजी और पारिवारिक जीवन के सम्मान का अधिकार

» अनुच्छेद ६ ईसीएचआर - निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

पर्यावरण और मानवाधिकार एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं: पर्यावरण संरक्षण ही मानवाधिकार संरक्षण है। जलवायु वरिष्ठ नागरिकों के मामले में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के हालिया फैसले ने इस संबंध को प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया है। भविष्य में, सरकारों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी जलवायु योजनाओं और नीतियों की पर्याप्तता पहले की तुलना में बहुत अधिक उच्च मानक के आधार पर मापी जाएगी: क्या वे अपने क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा करते हैं।

इस फैसले का कंपनियों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हालाँकि कंपनियों को ECHR के समक्ष नहीं लाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक न्यायालय यह स्वीकार कर रहे हैं कि मानवाधिकार क्षैतिज्य दायित्व पैदा कर सकते हैं - दो निजी पक्षों के बीच दायित्व, न कि केवल एक निजी पक्ष और सरकार के बीच। यह बहुत संभव है कि अगला मामला, मिलियूडेफेंसी बनाम शेल, मानवाधिकार मानकों पर केंद्रित होगा और क्लाइमेट सीनियर में दिया गया फैसला निजी क्षेत्र में भी लागू होगा। जो कंपनियाँ सबसे आगे रहना चाहती हैं, उन्हें ECHR के फैसले के आलोक में अपनी जलवायु और पर्यावरण नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए।

स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के लिए एकजुट हों: पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध प्रतिकार उपाय

पर्यावरण प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए हमारे आवासों की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करना और पुनर्चक्रण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जल और मृदा प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। वायु गुणवत्ता में सुधार और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उद्योग और परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण बढ़ाना आवश्यक है। प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए कृषि और उद्योग में हानिकारक रसायनों के उपयोग को विनियमित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और हमारे ग्रह पर रहने योग्य जलवायु सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक CO_2 उत्सर्जन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है।

वैश्विक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन टिकाऊ भविष्य की कुंजी है। केवल एक साथ मिलकर ही हम प्रदूषण को रोकने और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर सकते हैं।

पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक पहल

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से, हम पर्यावरण की रक्षा और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए संयुक्त रूप से प्रभावी समाधान विकसित कर सकते हैं। पेरिस जलवायु समझौते या संयुक्त राष्ट्र २०३० एजेंडा के कार्यान्वयन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते बताते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया संभव है।

क्योटो से पेरिस तकरू पर्यावरण संरक्षण समझौतों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर और पहल

» पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल

» सतत विकास के लिए एजेंडा २०३०

» ट्रांसबाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हेलसिंकी कन्वेंशन

» जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए मार्पोल अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन

» ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

» विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी)

» स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

» खतरनाक अपशिष्टों की सीमापार आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन

» पारे पर मिनामाता कन्वेंशन

» उच्च सागरों पर जैव विविधता के संरक्षण पर संधि (बीबीएनजे कन्वेंशन/उच्च सागर कन्वेंशन)

» क्षेत्रीय पहल जैसे यूरोपीय संघ परिपत्र अर्थव्यवस्था कार्य योजना

» वर्तमानः वैश्विक प्लास्टिक समझौते पर बातचीत

पर्यावरण प्रदूषण से निपटने में वर्तमान प्रगति

हाल के वर्षों में, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के तरीके में महत्वपूर्ण प्रगति और परिवर्तन हुए हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू जो तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, वह है दुनिया भर की सरकारों द्वारा सख्त पर्यावरण नियम और मानक लागू करना। कंपनियों को अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को लागू करने और अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए टिकाऊ समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग है। अधिक से अधिक लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक तरीके से काम करने वाली कंपनियों और उनके पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने को महत्व दे रहे हैं। नतीजतन, कंपनियाँ स्थिरता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं और पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अभिनव समाधान विकसित कर रही हैं।

नई तकनीकें भी महत्व प्राप्त कर रही हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जल शोधन जैसे क्षेत्रों में प्रगति हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद कर रही है।

इसका एक मौजूदा उदाहरण कारखानों में नई फिल्टर तकनीकें हैं, जो हानिकारक उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने में मदद करती हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का सिद्धांत भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यह कंपनियों को कचरे को कम करने और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी और शुरुआती पहचान के लिए सेंसर और बड़े डेटा विश्लेषण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। लक्षित डेटा संग्रह के माध्यम से, खतरे के संभावित स्रोतों की पहचान की जा सकती है और पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए निवारक उपाय किए जा सकते हैं।

ये मौजूदा घटनाक्रम दर्शाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है और अधिक से अधिक खिलाड़ी स्वच्छ भविष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस सकारात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते रहें और दीर्घावधि में अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करें।

कम्पनियां क्या भूमिका निभाती हैं?

प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कंपनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि उनका संसाधनों की खपत और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है कि कंपनियाँ अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम से कम करें। यह दायित्व न केवल कानूनी आवश्यकताओं से, बल्कि नैतिक मानकों से भी उत्पन्न होता है। प्रदूषण को कम करने और इस तरह अधिक टिकाऊ तरीके से काम करने के लिए कंपनियाँ कई तरह के तरीके अपना सकती हैं। नीचे कुछ ऐसे जरूरी कदम बताए गए हैं जिन्हें कंपनियाँ पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना सकती हैं:

» पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयनः एक महत्वपूर्ण कदम टिकाऊ उत्पादन विधियों को अपनाना है जो संसाधनों की खपत और उत्सर्जन को कम करते हैं।

» सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देनाः सर्कुलर उत्पादन और उपभोग दृष्टिकोण को अपनाना अपशिष्ट को कम करने और संसाधन दक्षता में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और मरम्मत करके, कंपनियाँ अपने उत्पादों के जीवन चक्र को बढ़ाने और अपशिष्ट को कम करने में मदद कर सकती हैं।

» नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोगः कंपनियां अपने कार्बन

उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकती हैं।

» संधारणीय आपूर्ति श्रृंखलाः संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में संधारणीय प्रथाओं को शामिल करना आवश्यक है। कंपनियों को समान पर्यावरण मानकों वाले आपूर्तिकर्ताओं का चयन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का पालन किया जाए।

» पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ता व्यवहार को बढ़ावा देना : कंपनियां अपने ग्राहकों को संसाधन-संरक्षण उत्पाद खरीदने और टिकाऊ विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

» पारदर्शी संचार और रिपोर्टिंगः पर्यावरणीय प्रभावों और स्थिरता उपायों के बारे में पारदर्शी संचार बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनियों को नियमित रूप से पर्यावरण रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए और हितधारकों को प्रदूषण कम करने के अपने प्रयासों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

» पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयनः अपशिष्ट की कमी, पुनर्चक्रण और उचित निपटान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

» पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में भागीदारीः कंपनियां पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले सकती हैं या पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान पर मिलकर काम करने के लिए पर्यावरण संगठनों के साथ साझेदारी कर सकती हैं।

इन तरीकों को लगातार अपनाकर और उन्हें अपनी व्यावसायिक रणनीति में एकीकृत करके, कंपनियां पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं और साथ ही दीर्घकालिक पारिस्थितिक लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं।

प्रदूषण के बारे में हम क्या कर सकते हैं? 8 सुझाव

पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए हम कई तरह के उपाय कर सकते हैं। पर्यावरण में सकारात्मक योगदान देने के लिए हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं:

१ए एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करनाः पुनः प्रयोज्य विकल्पों के पक्ष में डिस्पोजेबल बोतलें, बैग या पैकेजिंग जैसे प्लास्टिक उत्पादों से बचना

२ए हरित परिवहन को बढ़ावा देनाः अपनी कार के उपयोग से होने वाले CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने की सलाह दी जाती है।

३ए घर में ऊर्जा की बचतः जब बिजली के उपकरण उपयोग में न हों तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, ऊर्जा बचाने वाले प्रकाश बल्बों का उपयोग करना चाहिए तथा अपने घर के लिए प्रभावी इन्सुलेशन में निवेश करना चाहिए।

४ए सतत पोषणः संसाधनों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय और मौसमी भोजन का उपभोग करना, मांस की खपत को कम करना और जैविक उत्पादों को चुनना उचित है।

५ए अपशिष्ट की रोकथाम और पुनर्चक्रणः जागरूक उपभोग और पुनर्चक्रणीय सामग्रियों के उपयोग के माध्यम से अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए अपशिष्ट को उचित रूप से अलग करना महत्वपूर्ण है।

६ए पुनर्वनीकरण परियोजनाएँः CO2 को कम करने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए पुनर्वनीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

७ए संरक्षणः घर में पानी बचाने, टपकते नलों की मरम्मत करने और पौधों को पानी देने के लिए वर्षा जल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

८ए जागरूक उपभोगः पर्यावरण अनुकूल उत्पादन स्थितियों पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है।

यह समय है कि हम अपने पर्यावरण के लिए एक साथ खड़े हों और इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए कदम उठाएं। हममें से हर कोई इसमें योगदान दे सकता है, चाहे वह सचेत उपभोग के माध्यम से हो, अपशिष्ट पृथक्करण के माध्यम से हो या पर्यावरण संबंधी पहलों का समर्थन करके हो। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तभी हम प्रदूषण के प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपने ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

प्रदूषण के खिलाफ एकजुट

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न रूप हमारे और हमारे ग्रह के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध जटिल है। जीवाष्म ईंधन, वनों की कटाई और गहन कृषि से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि होती है, जो बदले में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है।

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में जलवायु मुकदमे आवश्यक हैं। वे प्रभावित लोगों को सरकारों या कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करते हैं। ये कानूनी कार्रवाइयां बदलाव लाने और पर्यावरण

संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का वर्तमान मामला कानून भी पर्यावरण संरक्षण मानकों के प्रवर्तन में योगदान देता है।

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जलवायु परिवर्तन मानव अधिकारों से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ भी मानव अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाली कंपनियाँ और सरकारें इस बात से अवगत हों कि उन्हें संभावित रूप से मानवाधिकारों के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कंपनियाँ अहम भूमिका निभाती हैं। उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को लागू करके, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके और पारदर्शी तरीके से संवाद करके, वे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

व्यक्तिगत रूप से, हम पर्यावरण प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। इनमें एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करना, हरित परिवहन को बढ़ावा देना, घर में ऊर्जा की बचत करना, स्थायी रूप से खाना, अपशिष्ट और पुनर्चक्रण से बचना, पुनर्वनीकरण परियोजनाओं का समर्थन करना, जल संरक्षण और सचेत उपभोग शामिल हैं।

हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उपाय करना महत्वपूर्ण है। हर किसी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और एक अखंड प्राकृतिक पर्यावरण का अधिकार है। एक अखंड पर्यावरण मानव अधिकारों से निकटता से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण न केवल प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी अपनी भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है

अमर दानव

डा. अनीता भटनागर जैन

बूझो तो जाने। वह क्या है जो जल में, थल में, हम सब में एक ही समय में, सब जगह विद्यमान है?

कदाचित पहले हम में से अधिकांश इसका उत्तर देते- दैवीय शक्ति। परंतु आज इसका उत्तर है प्लास्टिक। प्लास्टिक के नेनो कण विभिन्न समुद्रों में अधिकतम गहराई तक, नदियों में, आकाश में ६५०० फीट तक, भूमि में,यहाँ तक कि हमारे नमक में, हमारे शरीर में-माँ के दूध, शुक्राणु, किडनी, फेफड़ों, दिमाग में २२ हर जगह पाए गए हैं।

है ना आश्चर्यजनक? विभिन्न आकार और प्रकार में प्लास्टिक अब सब तरफ इस प्रकार हेकि इसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता।जैसे अंग्रेजी में कहते हैं 'हिडेन इन प्लेन साइट' । १९७२ से पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने व पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए, स्वीडन से ५ जून को विष्व पर्यावरण दिवस आयोजित करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ।२०२० में वर्ल्ड अर्थ डे का विशय 'प्लैनेट वर्सिस प्लास्टिक्स' थाय २०२३ में विष्व पर्यावरण दिवस का विशय'प्लास्टिक पोल्यूषन के उपाय' थाऔर२०२५ मेंप्लास्टिक महामारी के दृश्टिगतविशय'विष्व में प्लास्टिक पोल्यूषनका अंत' है।

वैज्ञानिकों ने विष्व की मुख्य नदियों में प्लास्टिक के खतरनाक स्तर पाए जिनमे अपने देश की नदियां भी हैं। न केवल पानी की सतह पर बड़े प्लास्टिक के टुकड़े तैरते हुए दिखते हैं परन्तु पानी के अंदर अदृष्य पांच एमपीएम यानी चावल के एक दाने से भी छोटे टुकड़े पाए जाते हैं जो जीव जंतुओं के षरीर के अंदर भी चले जाते है। एक दूध का फटा पैकेटनदी में फेंका जाता हैतो वह मछलियों, कछुओं, आदि के जीवन के लिए भी भयावहहोता है। हमारी संस्कृति में गौ माता पूजनीय है फिर यह तो विडंबना ही है कि अनेक गायों के पेट में १५ किलो तक पह्लिथीन पाई गई जिसे कि सर्जरी सेनिकालना पड़ा। अनेक लोग खाने का सामान प्लास्टिक की थैलियों में बांधकर फेंक देते हैं जो अंततः जानवरों के पेट में पहुँच जाती है। क्या हमारी सोच और कार्यप्रणाली में सामंजस्य नहीं होना चाहिए ?अब ऐसी नौबत आ गई की छठ के त्योहार पर पानी में खड़े होकर पूजा करने के लिए एल्युमिनियम क्लोराइड रसायन डालकर अस्थायी रूप से घाटों के पानी को साफ किया गया।

जब प्लास्टिक प्रदूशण की बात होती है तो कुछ तरह के प्लास्टिक पर बल दिया जाना है। जीवन की अनेक पहलुओं में आवष्यकतानुसार प्लास्टिक अनेक रूप सेजरूरी है और उनका विकल्प भी नहीं है । समस्या यह है कि प्लास्टिक के कारण 'डिस्पोजेबल कंज्यूमर कल्चर' सृजित हुआ। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण 'थ्रो अवे पीढ़ी' का जन्म हुआ। इससे सबका नुकसान हो रहा है। मनुश्यों के अतिरिक्त असहाय पषु-पक्षियों जीव-जंतुओं का, जो केवल मनुश्य की गतिविधियों का परिण ाम भोग रहे हैं। इसके उदाहरण हमें अपने समीप ही दिख जाते हैं- षादियों औरभंडारों में प्लास्टिक केग्लास, प्लेट,नारियल पानी में प्लास्टिक की स्ट्रह और बृहद रूप से उपयोग की जा रही मिनरल वाटर की प्लास्टिक की बोतलें ।कुछ वर्श पूर्व यूएनईपी द्वारा बताया गया था कि १ मिनट में विष्व में१० लाख प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग होता है यानी १ दिन में १४४ करोड़! है ना भयावह कि हम प्लास्टिक के कचरे

की पृथ्वी विरासत में छोड़ रहेहैं? नालियों में प्लास्टिक की पन्नियों के कारण वहृटरलहृगिंग की समस्या अबसामान्य जीवन का हिस्सा है।

आंकड़ों से वास्तविकता स्पश्ट होती है।वैष्विक प्लास्टिक वेस्ट मेंभारत का योगदान १८: है य भारत में प्रत्येक दिन करीब २६,००० मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्टव देष के ६० मुख्य षहरों में प्रत्येक दिन ४००० से अधिक मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट का सृजन होता है।।देष में करीब ९४: प्लास्टिक वेस्ट इस प्रकार की है जिसकीआसानी से रीसाइक्लिंग संभव नहीं है। अंततः ज़्यादातरप्लास्टिक वेस्ट खुले स्थलों और लैंडफिल पर डम्प कर दीजाती है।

९९: प्लास्टिक फहृसिल फ्यूल से प्राप्त होती है जो कि नहृन बायोडिग्रेडेबलहै । उत्पादन प्रक्रियासे भी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है।प्लास्टिक के बैग को डिकंपोज होने में १००० वर्श लगते हैं। वैसे प्लास्टिक अमर है औरकभी नश्ट नहीं होता। वह छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित हो जाता है ।अनेक लोगों को यह भ्रांतिहै किसमस्तप्लास्टिक और अन्य कचरे की रीसाइक्लिंग हो रही है। सीएसईके अनुसार देष मेंप्लास्टिक की १२: रीसाइक्लिंग हो रही है और २०: प्लास्टिक का कचरा जलाया जा रहा है ।जलाने सेरसायनों की एक खतरनाक कहृकटेल पैदा होती है जिससे कि मनुश्यों में अनेक जानलेवा बीमारियाँ बढ़ रहीहै, वातावरण में ग्रीनहाउस गैस में इजाफा हो रहा है और इस सब के फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहीहै। इस कुचक्र का कोई अंत है?

इस प्लास्टिक के दानव का वध किस प्रकार संभव है? सतत् इस विशय पर आधारित दिवस मनाने से कुछजागरूकता बढ़ी है लेकिन वास्तविक परिवर्तन आने में अनेक दषक लग जाएंगे।आवष्यकता इस बात की है किसब समाधान का हिस्सा बनें क्योंकि इसका भयावह प्रभाव, बिना भेदभाव के सर्वव्यापी है। देष में प्लास्टिक के ३०,००० से अधिक उत्पादक है परंतु उनके लिए रीसाइक्लिंग महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। उत्पादक पर भी इसके विकल्पों का उपयोग करने व उत्पादित प्लास्टिक को एकत्र कर रीसाइक्लिंग सुनिष्चित करने का दायित्व होना चाहिए।हमारा ध्यान केवल वेस्ट मैनेजमेंट पर है जो आवष्यक है, लेकिन साथ ही साथ प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की भीजरुरतहै जिससे कम वेस्ट हो और कम रिसाइकिलिंग हो। दायित्व उद्योग, समाज, व्यक्तिगत सब का है।

आज हम चन्द्रमा और मंगल ग्रह तक पहुँच चुकेहैं तो क्या हमारे नलों में पीने लायक पानी की आपूर्ति संभव है, जिससेकिमिनरल वाटर की बोतलों का उपयोग ना हो? हम में से अनेक लोगों ने बचपन में नल में हाथ का चुल्लू बनाकर पानीपिया है। आज भी अनेक देषों में नल का पानी पीने लायक है और वहाँ मिनरल वाटर की बोतलों की आवष्यकता नहीं पड़ती। विष्व में करीब ४० देषों में डिपहृजिट रिफंड योजनाएं लागू की है जिससे कि प्लास्टिक की बोतलें वापस एकत्रित हो सके और रिसाइकिल हो जाए। लेकिन यदि हम उन का उपयोग हीना करें तो उनके उत्पादन और उसके बाद रीसाइक्लिंग में ऊर्जा का उपयोग होता है और जिस का भी पृथ्वी के तापमान बढ़ने में योगदान है उससे बचा जा सकता हैं ।

यद्यपि कि अनेक प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है परन्तु अनेक स्थानों पर उसका उपयोग हो रहा है और सामान्य नागरिक उसकीजिम्मेदारी प्रषासन के ऊपर डालकर अपने दायित्व से बचते हैं। सब जगह पुलिसिंग नहीं की जा सकती है और न ही की जानी चाहिए। यदि नागरिक को अपना कर्तव्य समझ में आ जाये तो बहुत आसानी से स्थिति में व्यापक सुधार लाया जा सकता है।यदि कोई वस्तु प्रतिबंधि ात है और नुकसान भी करती है तो फिर नागरिक उसका उपयोग क्यों कर रहेहैं ?

- क्या हम विभिन्न आयोजनों में प्रतिबंधित प्लास्टिक की कटलरी का उपयोग बंद करसकते हैं ?
- क्या यह संभव है कि हम हवन या पूजा की सामग्री प्लास्टिक की थैली में बांधकर नदियों में ना फेंके?
- क्या हम अपने कूड़े को गीले,कागज, प्लास्टिक, आदि प्राविधानित श्रेणियों में अलग करके कूड़ासंग्रहीत करने वाले व्यक्ति को दे सकते हैं?
- जब बच्चे पानी की बोतल स्कूल ले जा सकते हैं तो बड़े भी ऐसा कर सकते हैं।क्या हमसब्जियाँ, फल व अन्य सामान अपने कपड़ों के थैलों में ला सकते हैं और प्लास्टिक के साथ साथ अन्य प्रकार के बैगों का भी उपयोग कम कर, निस्तारण हेतु कचरे की मात्रा में कमी ला सकते हैं?
- जब हम 'जीवन साथी' मोबाइल को कहीं भी ले जाना नहीं भूलते तो क्या हम अपनी पानी की बोतल और कपड़े का थैला भी साथ ले जाना याद रख सकते हैं?
- क्या हम अपने और अपने परिवार के लिए स्वस्थ जीवन चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या हमस्वार्थवषहीआदतों में बदलाव कर सकते हैं?

आदतों में बदलाव कठिन हो सकता है परन्तु असंभव नहीं। मनुश्य में असीमित अनुकूलन क्षमताहै हैतभी तो वहरेगिस्तानसे लेकर बर्फीले पहाड़ों और अंतरिक्ष तक में रह लेता है।बहुत से लोगों का कहना है बच्चों में बदलाव लाया जाए। जब तक बड़े अपनी आदतें नहीं बदलेंगे तो बच्चो में बदलाव संभव नहीं है? हम सबको ही समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा।कुछ लोग पहला कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल उनके कुछ करने से स्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन अंध ाकार को कोसने से बेहतर एक दिया जलाना है।हम में से प्रत्येक व्यक्ति का प्रभाव पड़ता,है चाहे हम कुछ करें या ना करें।गाँधीजी ने कहा है कीदुनिया को धीमे से हिलाइए। हम षुरुआतकरें, अपने ही दायरे सेबिल्ली के गले में घंटी बांधकर।

लेखिका पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रही हैं

श्री टी एस आर सुब्रमणियन, 1961 बैच के IAS अधिकारी द्वारा 2006 में व्यक्त विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने की उनके सेवा काल में थे।

जब हम पर्दा खीच लेते है, तब हमारी जनसंख्या का तलीय तिहाई हिस्सा अदृश्य हो जाता है, सारे आगणनो से एकदम बाहर समस्त व्यवहार्य प्रयोजनो के लिए भारत में उसका अस्तित्व ही नही रह जाता, समस्त योजना विधायी उपक्रम और विकास प्रक्रम जनसंख्या के ऊपर ले उच्चस्थ भाग के द्वारा उनके अपने ही हित साधन हेतु प्रारूपित किये जाते है सारी चाले प्रमुख खिलाडियो के वर्गीय स्थानो की सिद्धि के लिए ही चली जाती है, प्रमुख खिलाडी यानी राजनेता नौकरशाह व्यवसाथी उद्यमी और न्यायाधिपति एक अलिखित अकथिन दुरभिसंधि है कि भारत अनन्य रूप से मात्र इसी अधिक शासन वर्ग श्रेणी से आयत रहेगा। भारत इसी वर्ग श्रेणी का है इसी के लिए है इसी के द्वारा है पिछलगुए के रूप में इसी से जुडा हुआ है मध्य वर्ग जो बचे खुचे अवशिष्ट अंश प्रलुब्ध भोग लाभ पाता रहता है। नितांत गरीब एक तिहाई पीछे छूटे परित्यक्त लोग है जो किसी भी गणना किसी भी लेखे में नही आते। यही है भारत का स्वातंत्र्योत्तर राज धर्म लोक धर्म।।

ऐसा नही है कि जब मैं सेवा में आया था, तब सब कुछ एकदम कुमुदिनी निर्मल नितांत दुग्ध धवल ही था। अभिवृत्तियों और व्यवहारों में कुछ न कुछ औपनिवेशिक अवशेष तो तब भी दृष्टिगाचर होते ही थे। किंतु यह भी सही है कि निपट मानव द्वेषी स्वार्थ बद्ध दोष दृष्टि से समूचा तंत्र जिस प्रकार आज कपटचालित छल योजित हो रहा है उस तरह की कोई बात तब न थी। हो सकता है उन युवतर दिनो में मैं कुछ अधिक ही संवेदन प्रभावनशील रहा होऊँ, परन्तु मेरा यह विचार प्रभाव एकदम सस्फुट सुस्पष्ट है कि उन दिनों उत्कृष्ट कोटि के व्यक्तित्व काफी बडी संख्या में थे, नौकरशाह भी और राजनेता भी जो उत्तम प्रशासन और श्रेष्ठ शासन के स्पृहणीय मूल्यो के प्रति अंतरतः समर्पित थे। मैंने देखा था उन दिनो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्वायत्तता और साहस, बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता के साथ कार्य करते थे। न तो अपने राजनीतिक आकाओं के सामने झुकत हुए और न ही कनिष्ठो से डरते हुए लेकिन आज तो समूची धारा ही बदल गयी है, सारा संतुलन ही बिगड गया है और अब जो कुछ हमारे पास बच रहा है वह तो अवशिष्ट अंश मात्र है उस तंत्र का जिसका भीतरी अंत्रजाल नितांत शीर्ण विशीर्ण हो चुका है।

अगर वर्तमान विगलन अपक्षय, सडन, गलन, की कोई व्याख्या उसका कोई स्पष्टीकरण ढूँढना ही हो तो यही तर्क दिया जा सकता है कि ब्रिटिश प्रशासन की पद्धति की दक्षता और कुशलता, सफलता सक्षमता, लोकतांत्रिक ढांचे से बाहर औपनिवेशिक राज्य और गुलाम प्रजा के संदर्भ प्रसंग में सराहनीय बनी हुई थी। हमारा समाज परिवार जाति, कुल गोत्र आस्था विश्वास के प्रति आदिम निष्ठाओ से अकीर्ण था और ततोअधिक जमीनी हकीकत यह थी कि हमारा अधिश्रेणिक सोपनिक हेरार्किक समाज संपत्ति और विशेषाधिकार के मामलों में अलंघ्य विषम विभाजनकारी नियमो से बाबद्ध था। तमाम शताब्दियो से यह अमानुषिक अभिशापी परम्परा चली आ रही थी। आजादी के बाद लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत आधुनिक प्रशासन पद्धति के सुदृढीकरण के लिए जिन नियंत्रणो संतुलनो और जवाबदेहियों जिम्मेदारियों की अपरिहार्य अपेक्षा थी वे अभी अपनी जगह नही बना सकी थी। इस प्रकार इस परिदृश्य मे स्वतंत्रता के बाद पिछले ५५ वर्षो में क्रमागत गति विकास,(६) देश की अंतर्निहित ढांचागत कमजोरी का अपरिहार्य अनावरण ही कहा जायेगा। किंतु इस तरह का विमर्श विश्लेषण तर्क वितर्क का अंतहीन एवम् निरर्थक उपागम मात्र ही बन सकता है, जिसका स्थान भारत में चुपचाप लेखे जा रहे विकट नाटक की नितांत तत्कालिकता के मुकाबले दोयम ही रहेगा।

इन विष्कंभ को अंतरालिकों को अलग हटाकर, जब मैं पीछे मुडकर बीते दिनो के ओर देखता हूँ, तब पाता हूँ की घटनाओ का अपवाह, उनका रात से भटकाओं एवम् अपसरण और परवर्तनो की प्रवृत्ति एवं रूझान, सब कुछ एकदम साफ सुस्पाष्ट और अचूक असंदिग्ध है यह भारत के कोटि जनों के प्रति किए गए विश्वासघात और धोखे की विषण्ण गाथा है।

जनदीक्षा

कैप्टेन प्रभान्शु कुमार श्रीवास्तव

एक प्रशासनिक अधिकारी के जीवन में घटी ऐसी घटना जब उसे भारत की आम जनता से ऐसी सीख मिली जिससे न केवल उन के सोचने का नजरिया बदला बल्कि आगे के लिए भी उन्होंने इस सीख को एक सबक के रूप में हमेशा याद रखा।

ये बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों का आधारभूत वव्यावसायिक प्रशिक्षण हुआ करता था- परंपरा के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी की पहली नियुक्ति पर्वतीय क्षेत्र में ही होती थी- हमारा बैच भी परम्परा के अनुरूप पहाड़ में ही नियुक्त किया गया- मेरे हिस्से में कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा जनपद आया।

सरकारी सेवा के पहले चरण में मैंने अल्पकालीन सेवाकमीशन प्राप्तअ धिकारी के रूप में भारत की सशस्त्रसेना में लगभग आठ साल व्यतीत किए थे। प्रदेश का निवासी होने के कारण मेरी सोच दृढ़सी थी कि उत्तर प्रदेश में सोर्स सिफारिश बहुत चलती है। जिसकी वजह से सही कार्य नहीं हो पाते हैं और सिफारिश के दबाव में अधिकारी न्याय नहीं कर पाते। अत एव मैंने मन बना लिया था कुछ भी हो किसी भी प्रकार मैं सिफारिश ना सुनूँगा और न ही सिफारिश को बढ़ावा दूँगा।

सबडिवीजनल मजिस्ट्रेट के रूप में पहली तैनाती के कुछ दिन बाद ही जनता से मुलाकात के निश्चित समय के दौरान एक श्रीमानजी प्रकट हुए। इस समय मेरे कक्ष में पहले से ही कई मुलाकती मौजूद थे। उन्होंने तेज स्वर में एक पत्र मुझे देते हुए बताया माननीय विधायक जी ने उनके प्रकरण में यह पत्र भेजा है और चाहा है कि जल्द ही कार्रवाई कर दी जाय। अपनी पूर्व निध र्ारित धारणा के अनुरूप और यह सबल रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से कि मैं सिफारिश के बिलकुल खिलाफ हूँ मैंने सभी लोगों की उपस्थिति में उस पत्र को बिना खोलें लिफाफे समेत फाड़कर कूड़ेदान को समर्पित कर दिया। कक्ष में सन्नाटा हो गया। आए हुए श्रीमानजी की बात सुनने के उपरांत मैंने कहा कि उन के काम को पूर्णतया गुणदोष के आधार पर तय किया जाएगा। सिफारिशी पत्र के आधार पर नहीं।

इस घटना क्रम के एक घंटे बाद उन्हीं माननीय विधायक जी का फोन आया जिन का पत्र फाड़ा गया था कि वे स्वयं मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं ऑफिस में उपलब्ध हूँ जब चाहें वे अपनी सुविधानुसार मिलने के लिए आ सकते हैं। पर उन्होंने मेरे आवास पर मिलने की इच्छा जतायी और अनुरोध किया कि मैं उन्हें समय बता दूँ कि वे मुझसे मिलने के लिए कब आ सकते है। मैंने अनुरोध किया कि आवास पर मैं किसी से मिलता नहीं हूँ विशेषकर सरकारी कार्य के संबंध में अच्छा होगा कि वो ऑफिस में ही आ जाए पर उन्होंने आवास पर ही मिलने की जिद पकड़ रखी थी जिस पर मैंने टेलीफोन यह कहते हुए रख दिया कि आवास पर मिलना संभव नहीं होगा।

सायंकाल पाँच बजे के आसपास आवास पर मुझे सूचना दी गई कि माननीय विधायक जी मुझसे मिलने के लिए पधारे हैं। झुँझलाते हुए मैंने उन्हें बाहर बैठाने के लिए कहा और उनसे मिलने पहुँचा। किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलने का मेरे लिए यह पहला अवसर था। विधायक जी उम्रदराज थे तो उन्होंने खड़े हो कर मुझसे नमस्ते की और बोले कि वे एक गार्जियन के नाते मुझसे मिलने और सलाह देने आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे जानते हैं कि मैं फौज से आया हूँ और अभी मुझे दीन दुनिया का बहुत ज़्यादा पता नहीं है और विधायिका के अधिकारों के बारे में मेरा ज्ञान शून्य है। इस घटना को वे यदि चाहे तो विधानसभा में उठा सकते हैं और विशेषाधिकार समिति के सम्मुख भी रख सकते हैं। पत्रकार वार्ता धरना प्रदर्शन कर सकते हैं आदि आदि जिससे मेरे करियर को अत्यधिक क्षति पहुँचेगी और मेरे लिए परेशानी का बायस बनेगी।

तदोपरांत घटना का विस्तार से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सोचिए पत्र वाहक पर उस घटना का क्या प्रभाव पड़ा होगा। वहाँ मौजूद लोगों जिनकी उपस्थिति में पत्र फाड़ा गया वे सभी लोग घर जाकर अपने इष्टमित्रों से इस घटना की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे पत्र फाड़ने की घटना चार पाँच दिनों के अंदर पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैल जाएगी कि विधायक जी की चिट्ठी का एसडीएम पर कोई असर नहीं होता और लोगों के बीच में यह संदेश जाएगा कि विधायक जी की एसडीएम साहब कतई नहीं सुनते। एक छोटी सी घटना का चक्रानुक्रम से कितना बड़ा प्रभाव सामाजिक और राजनैतिक रूप से पड़ सकता है इस बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और रेखांकित किया कि इस छोटी सी घटना ने उनके कितने सारे वोटरों को उनसे विमुख कर दिया है या करने की संभावना रखता है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे मेरी सोच कार्यशैली और ईमानदारी के कायल है लेकिन इस प्रकरण में मैंने ठीक कार्य नहीं किया है।

उनके हिसाब से मुझे उनका कागज लेकर रख लेना था और जो भी करना होता उस पर गुणदोष के आधार पर सुविचारित सही निर्णय लेने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित था। यदि मुझे पत्र फाड़ने का ही मन था तो उसे उस व्यक्ति के जाने के उपरांत फाड़ते वो भी अकेले में ऐसा करने से आपको कौन रोक रहा था। आपकी तरह हम सरकारी अधिकारी तो है नहीं हमारे पास जो भी आएगा चाहे वो सही हो या गलत उसके लिए हमें टेलीफोन भी करना पड़ेगा और पत्र भी लिखना पड़ेगा। हर प्रकरण में हम सही गलत का फैसला करने लगेंगे तो हमारा जन सेवा में रहना मुश्किल हो जाएगा। अतएव आप भविष्य में इसका ध्यान रखें कहना न होगा कि इस पूरे प्रकरण से मुझे जनप्रतिनिधियों के पक्ष को समझने का अच्छा अवसर मिला और कालांतर में मेरे द्वारा किसी भी जनप्रतिनिधि का पत्र फाड़ा नहीं गया। जो इस बात का द्योतक है कि मैंने विधायक जी की सीख को एक सबक के रूप में अपना लिया था।

प्राकृतिक जीवन शैली

जीवन जीने की कला

जगद्गुरूत्तम सेवा समिति

वृंदावन | ऋषिकेश

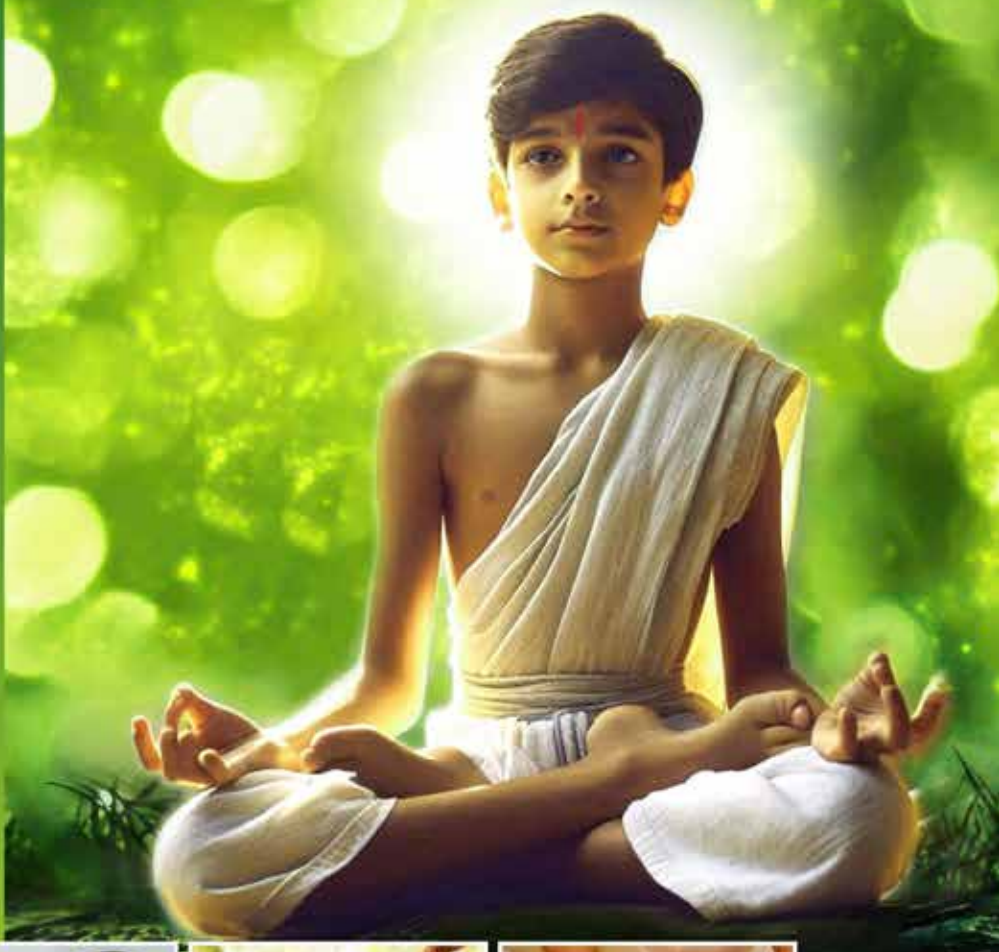

FREE Health Camps

@samagrakayakalp

Toll Free No. 1800-309-1008

www.jagadguruuttam.com